रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032020-218978
CG-DL-E-31032020-218978

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1093] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2020/चैत्र 11, 1942
No. 1093] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2020/CHAITRA 11, 1942

MadhuCode

गृह मंत्रालय

(जम्मू-कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2020

का.आ. 1229(अ).—केंद्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा, जैसे यह भारत राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. तत्काल प्रभाव से इस आदेश की अनूसूची में उल्लिखित अधिनियम को, जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है, लागू रहेगा, अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलन और उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे या यदि इस प्रकार ऐसा निदेशित किया गया है, तो निरसित हो जाएंगे।

4. जहाँ इस आदेश में ऐसा अपेक्षित है की किसी अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा या अन्य भाग में कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे या कतिपय अन्य शब्दों का लोप किया जायेगा वहां, यथास्थिति, ऐसा प्रतिस्थापन या लोप, वहां के सिवाय जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, जहां कही उस धारा या उसके भाग में आता है, निर्दिष्ट शब्दों के स्थान पर किया जायेगा ।

5. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि का अनूकूलन करते है, या उसका उपांतरण या निरसन करते है जिससे उसे ऐसी रीति में परिवर्तित किया जा सके जिसमें ऐसा प्राधिकार जिसके द्वारा या ऐसी विधि, जिसके अधीन या जिसके अनुसार कोई शक्तियां प्रयोग्तव्य हों, 31 अक्तूबर 2019 के पहले सम्यक रूप से बनाई गई या जारी की गई किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम को ये सम्यक रूप की गई किसी बात को अविधि मान्य नहीं बनाएंगे; और ऐसी किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम या किसी बात का वैसी ही रीति में , उसी विस्तार तक, और वैसी ही परिस्थितियों में वैसे ही प्रतिसंहरण, फेरफार या अकृत किया जा सकेगा मानो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधो के अनुसार बनाया गया हो, जारी किया गया हो या किया गया हो ।

6. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विधि का निरसन या संशोधन –

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन को या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी बात को ;

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को ;

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड को ; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को

प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समहरण या दंड को वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो जम्मू – कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) या यह आदेश पारित न किया गया हो ।

indiaCode

अनुसूची

(पैरा 3 देखें)

राज्य विधियां

1. कृषि अनुतोष अधिनियम, 1983

(संवत् 1983 का अधिनियम संख्यांक 1)

पूर्णतः निरसित ।

2. कृषि और भूमि सुधार के लिए जम्मू-कश्मीर सरकारी सहायता अधिनियम

(संवत् 1993 का अधिनियम संख्यांक 7)

पूर्णतः निरसित ।

3. उद्योगों को जम्मू-कश्मीर राज्य सहायता अधिनियम

(संवत् 1961 का अधिनियम संख्यांक 22)

पूर्णतः निरसित ।

4. जम्मू-कश्मीर एनेटोमी अधिनियम

(संवत् 1959 का अधिनियम संख्यांक 22)

धारा 1.- उपधारा (2) में, "संपूर्ण राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" रखें ।

धारा 6.- "पांच सौ रुपए" के स्थान पर "पांच हजार रुपए" रखें ।

धारा 9.- "राज्य रणबीर दंड संहिता, संवत्, 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) " रखें ।

5. जम्मू-कश्मीर प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम

(संवत् 1977 का अधिनियम संख्यांक 5)

धारा 10क.- उपधारा (3) में "बीस हजार रुपए" के स्थान पर "पचास हजार रुपए" रखें ।

धारा 15.- उपधारा (2) में "एक हजार रुपए" के स्थान पर "पचास हजार रुपए" रखें ।

धारा 16, धारा 17 की उपधारा (2) और धारा 18 की उपधारा (4).- "बीस हजार रुपए" के स्थान पर "पचास हजार रुपए" रखें ।

धारा 20क.- (i) "पुरातत्व विभाग" के स्थान पर "पुरातत्व,अभिलेखागार और संग्रहालय विभाग" रखें।

(ii) "या लद्दाख जिले की दशा में उस जिले का उपायुक्त" का लोप करें ।

धारा 20ख.- उपधारा (4) में "बीस हजार रुपए" के स्थान पर "पचास हजार रुपए" रखें ।

धारा 22क.- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

IndiaCode

6. जम्मू-कश्मीर बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय अधिनियम

(2002 का अधिनियम संख्यांक 26)

संपूर्ण अधिनियम में "परिषद्" के स्थान पर "बोर्ड" रखें ।

धारा 2.- (i) विद्यमान खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड के पहले अंतःस्थापित करें –

'(क) "सहबद्ध महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा सहबद्ध किया गया है ; ';

(ii) खंड (ख) के स्थान पर रखें –

'(ख) "बोर्ड" से वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 43) की धारा 13 के अधीन स्थापित कोई बोर्ड अभिप्रेत है ; ';

(iii) खंड (ग) के पश्चात् अंतःस्थापित करें -

'(गग) "आफसाइट या सैटेलिट कैपंस" से मुख्य कैंपस के बाहर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित कैंपस अभिप्रेत है; ' ।

धारा 4.- "वैज्ञानिक और तकनीकी" के स्थान पर "वैज्ञानिक, तकनीकी और बहुअनुशासनिक" रखें ।

धारा 5.- (i) खंड (4) में, "रीडर या लेक्चरर" के स्थान पर "सह आचार्य या सहायक आचार्य" रखें ;

(ii) खंड (6) के स्थान पर रखें-

'(6) महाविद्यालयों और हालों को स्थापित करने, अनुरक्षित करने और मान्यता देने और सहबद्ध करने के लिए, गाईड को मान्यता देने, परिषद् या ट्रस्ट न्यास या सरकार द्वारा स्थापित हाल का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने और ऐसी मान्यता को वापस करने ।'।

धारा 8.- उपधारा (1) में, "मुख्यमंत्री" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल" रखें ।

धारा 12.- उपधारा (1) के खंड (vii) के पश्चात् अंतःस्थापित करें –

"(viii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले चक्रानुक्रम के आधार पर सहबद्ध महाविद्यालयों के दो से अनधिक प्रधानाचार्य ।" ।

धारा 19.- रखें -

"19.महाविद्यालय.- महाविद्यालय ऐसे महाविद्यालय होंगे जो इस अधिनियम के अनुसार, बोर्ड या न्यास या सरकार द्वारा स्थापित हों और कार्य परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हों ।"।

7. जम्मू-कश्मीर वृत्तिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड अधिनियम

(2002 का अधिनियम संख्यांक 25)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य" के स्थान पर "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2.- (i) खंड (ज) में, "चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू/श्रीनगर" के पश्चात् "कठुआ, राजौरी, डोडा, बारामूला, अनंतनाग" अंतःस्थापित करें, ;

(ii) खंड (ञ) का लोप करें ।

धारा 20.- "रणबीर दंड संहिता, संवत्, 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)" रखें ।

8. जम्मू-कश्मीर राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 24)

धारा 1.- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2.- (i) खंड (ज) में "राज्य" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

(ii) खंड (ढ) के स्थान पर रखें –

'(ढ) "सरकार" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार' अभिप्रेत है ; और

(iii) खंड (ब) का लोप करें ।

धारा 13.- "राज्य" के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 30.- "रणबीर दंड संहिता, संवत्, 1989" और दंड प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1989 के स्थान पर क्रमशः "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)" और "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

IndiaCode

9. जम्मू-कश्मीर ईंट भट्टा (विनियमन) अधिनियम

(2010 का अधिनियम संख्यांक 17)

धारा 2.- खंड (ज) में "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

खंड 3.- उपधारा (4) के स्थान पर रखें –

"(4) कोई व्यक्ति तब तक कोई ईंट भट्टा स्थापित नहीं करेगा या उसके नवीकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा जब तक वह, -

(क) राजस्व विभाग का गैर कृषि भूमि उपयोग अधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हैं ;

(ख) संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का प्रमाणपत्र स्थापित करने के लिए सहमति प्रस्तुत नहीं कर देता ;

(ग) जब तक उसके पास जिला कृषि अधिकारी द्वारा प्रमाणित असमतल अनउपजाऊ भूमि पर ऐसे ईंट भट्टे के लिए कच्ची सामग्री के रूप में पर्याप्त मिट्टी का स्टाक न हों । " ।

धारा 4.- (i) खंड (ग) में, "बंजीर कादिम" के स्थान पर "अंतिम जुमाबंदी में यथाअभिलिखित गैर मुजुर्बा (अनउपजाऊ भूमि) ";

(ii) खंड (घ) में, "जम्मू-कश्मीर वन अधिनियम, 1987" के स्थान पर "भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)" रखें;

धारा 6.- (i) उपधारा (1) में "राज्य के क्षेत्र में" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के क्षेत्र में" रखें ;

(ii) "उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन" के स्थान पर "उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक आवेदन" रखें ;

(iii) उपधारा (5) में "यदि किसी आवेदन की प्राप्ति पर" के स्थान पर "यदि उपधारा (3) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर" रखें ; और

(iv) उपधारा (6) के खंड (घ) में "और दांडिक कार्रवाई" के स्थान पर और "और ऐसा जुर्माना, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए, अधिरोपित करके दांडिक कार्रवाई" रखें ।

धारा 8.- उपधारा (1) में, "तीस हजार रुपए" के स्थान पर "पचास हजार रुपए या ऐसी उच्चतर रकम जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए" रखें ।

धारा 12.- स्पष्टीकरण में, "दंड प्रक्रिया संहिता संवत्, 1989 की धारा 102 और 103" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 13.- "संपूर्ण राज्य" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर क्रमशः "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" और "सरकारी राजपत्र" रखें ।

धारा 18.- "होर्डिंग एंड प्रोफिटियरिंग प्रिवेंशन आर्डिनेंस संवत्, 2000 और कोई अन्य विधि" के स्थान पर "कोई विधि" रखें ।

धारा 23.- "राज्य रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)"
रखें ।

10. जम्मू-कश्मीर कैपिंग और मूरिंग स्थल अधिनियम

(संवत् 2004 का अधिनियम संख्यांक 12)

धारा 1.- उपधारा (2) के खंड (क) के अंत में, "और जम्मू प्रभाग" जोडें ।

धारा 2.- खंड (घ) के स्थान पर रखें –

'(घ) "निदेशक" से जम्मू-कश्मीर पर्यटन निदेशक अभिप्रेत है ।'।

धारा 6.- "पांच सौ रुपए" के स्थान पर "पांच हजार रुपए" रखें ।

11. जम्मू-कश्मीर चौकीदारी अधिनियम

(1956 का अधिनियम संख्यांक 37)

धारा 1.- उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2.- खंड (ख) में, "जम्मू-कश्मीर नगर क्षेत्र अधिनियम, 2011 में यथापरिभाशित" के स्थान पर "उस रूप में घोषित" रखें ।

धारा 3.- "सरकार" के स्थान पर पर जहां कहीं वह आता है "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें ।

धारा 11.- "रणबीर दंड संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता (1860 का 45)" रखें ।

12. जम्मू-कश्मीर नागरिक विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम

(2014 का अधिनियम संख्यांक 3)

पूर्णतः निरसित ।

13. जम्मू-कश्मीर सिविल न्यायालय अधिनियम, 1977

(1920ए.डी.)

(संवत् 1977 का अधिनियम संख्यांक 46)

संपूर्ण अधिनियम में "सरकार" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें ।

धारा 1.- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2.- खंड (i) का लोप करें ।

धारा 3.- "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 13.- "लघुवाद न्यायालय अधिनियम के अधीन स्थापित लघुवाद न्यायालय" का लोप करें ।

धारा 14.- "राज्य" के स्थान पर जहां कहीं वह आता है, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 36.- "राज्य" के स्थान पर जहां कहीं वह आता है, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 43.- "जम्मू-कश्मीर राज्य की अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय" का जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के समान न्यायालय के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

14. जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम

(2010 का अधिनियम संख्यांक 16)

संपूर्ण अधिनियम में "राज्य काडर" का "संघ राज्यक्षेत्र काडर" के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

धारा 1.- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2.- (i) खंड (ग) के पश्चात् अंतःस्थापित करें –

'(गक) "अधिवास" से इस अधिनियम की धारा 3क में यथापरिभाषित अधिवास अभिप्रेत है ।' ;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखें :-

'(घ) "सरकार" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है ।'।

IndiaCode

धारा 3 के स्थान पर रखें –

अधिनियम का लागू होना ।

"3. इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे –

(क) सरकार के किसी विभाग या सेवा के किसी स्थापन में उत्पन्न सभी राजपत्रित और गैर राजपत्रित पदों को ; और

(ख) सरकार के किसी विभाग या सेवा के किसी स्थापन में या सारवान रूप से संघ राज्यक्षेत्र के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी, संगठन और निकाय में उत्पन्न वर्ग 4 के पद ;

परंतु इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे-

(i) ऐसे पद जिनके लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र विधान मंडल की किसी अधिनियमित के अधीन विशेष प्रक्रिया अधिकथित की गई है ; और

(ii) ऐसे अन्य पद जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रवर्तन से अपवर्जित किया है ।" ।

धारा 3 के पश्चात् अंतःस्थापित करें –

जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र में की किसी सेवा में नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए अधिवास ।

"3क. (1) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र के अधीन या जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण (कैंटोनमेंट बोर्ड से भिन्न) स्तर-4 (25500) से अनधिक वेतनमान वाले किसी पद के लिए नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र का अधिवासी समझा जाएगा :-

(क) जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र में पंद्रह वर्ष की अवधि तक रहा है या जिसने सात वर्ष की अवधि तक अध्ययन किया है और जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र में अवस्थित किसी शैक्षिक संस्था में कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है ; या

(ख) जिसे जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र में राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी) द्वारा प्रवासी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित व्यक्तियों को उपधारा (1) के अधीन अधिवासी समझा जाएगा, अर्थात् :-

(क) उन केंद्रीय सरकार के पदधारियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकाय के पदधारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पदधारियों, सांविधिक निकायों के पदधारियों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय सरकार के मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के पदधारियों, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य में कुल दस वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, के बालक ; या

(ख) ऐसे माता-पिता के बालक जो उपधारा (1) में की किन्हीं शर्तों को पूरा करते हैं ; या

(ग) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र के ऐसे निवासियों के बालक जो अपने नियोजन या कारबार या अन्य वृत्ति या व्यवसाय के सम्बन्ध में जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे हैं किंतु उनके मता-पिता उपधारा (1) में उपबंधित शर्तों में से किसी शर्त को पूरा करते हैं ।

अधिवास प्रमाणपत्र का जारी किया जाना

3ख. (1) तहसीलदार अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर अधिवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा :

परंतु जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र की सरकार अधिवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) आवेदक, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में आवेदन कर सकेगा, जो विहित किया जाए, जो सत्यापन करने के पश्चात् ऐसे प्ररूप में, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति सम्बंधित उपआयुक्त के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा जो पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् साठ दिन की अवधि के भीतर अपील का विनिश्चय करेगा ।"।

धारा 5.- उपधारा (1) में,-

(क) "राज्य सेवा चयन बोर्ड" के स्थान पर "सेवा चयन बोर्ड" और अंत में ":" कोलन चिन्ह के स्थान पर "।"विराम चिन्ह रखा जाएगा ;

(ख) परंतुक का लोप करें ।

धारा 5 के पश्चात् अंतःस्थापित करें -

कतिपय पदों का पात्र होने के लिए अधिवास की अपेक्षा ।

"5क. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति स्तर 4 (25500) से अनधिक के वेतनमान वाले किसी पद पर नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र का अधिवासी न हो ।"।

धारा 6.- (i) खंड (i) में "राज्य का स्थायी निवासी" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र का अधिवासी" रखें ;

(ii) खंड (ii) का लोप करें ।

धारा 7.- (i) खंड (i) में "राज्य का स्थायी निवासी" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र का अधिवासी" रखें ;

(ii) खंड (ii) का लोप करें ।

धारा 8.- खंड (i) का लोप करें ।

धारा 13.- लोप करें ।

15. जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विशेष उपबंध) अधिनियम

(2010 का अधिनियम संख्यांक 14)

पूर्णतः निरसित ।

16. श्रीनगर और जम्मू कलस्टर विश्वविद्यालय अधिनियम

(2016 का अधिनियम संख्यांक 3)

धारा 4.- (i) खंड (ङ) में "नवाचार" के पश्चात् "सहयोजन, ज्ञान, विनिमय" अंतःस्थापित करें और "और" का लोप करें ;

(ii) खंड (च) में, "।" विराम चिन्ह के स्थान पर ";" सेमीकोलन चिन्ह रखें और उसके निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -

"(छ) घटक महाविद्यालयों को अग्रिम अध्ययनों, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान आदि में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में बनाना ;

(ज) घटक महाविद्यालयों को स्वायत्त बनाने के लिए प्रयास करना ; और

(झ) घटक, स्वशासी और सहबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के कौशल और नियोजनता की वृद्धि के लिए कार्य करना । "।

धारा 5.- खंड (14) के पश्चात् अंतःस्थापित करें –

"(15) घटक, स्वशासी और सहबद्ध महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम के साथ क्रियाकलापों के लिए स्टेट आफ आर्ट सुविधा के विकास के साथ कैरियर काउंसलिंग, प्लेसमेंट को मानीटर करने पर बल देना" ।

धारा 8.- "राज्य" के स्थान पर जहां कहीं वह आता है "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" रखें ।

धारा 10.- उपधारा (1) में, "राज्य के मुख्यमंत्री" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र के उप राज्यपाल रखें ।

धारा 11.- उपधारा (1) में "राज्य" का लोप करें ।

धारा 12.- उपधारा (5) में,-

(i) "पांच वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" रखें ;

(ii) पहले परंतुक में "प्रति-कुलपति के परामर्श से" का लोप करें ; और

(iii) दूसरे परंतुक में "प्रति-कुलपति के परामर्श से" जहां कहीं वह आता है, का लोप करें और "जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है" का भी लोप करें ।

17. जम्मू-कश्मीर का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम संख्याक 12)

पूर्णतः निरसित ।

18. जम्मू-कश्मीर निर्माण संक्रिया नियंत्रण अधिनियम, 1988

(1988 का अधिनियम संख्यांक 15)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें ।

धारा 1.- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" रखें ।

धारा 10.- (i) "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ;

(iii) खंड (2) में, "संहिता की धारा 57" के स्थान पर "संहिता की धारा 42" रखें ।

IndiaCode

19. जम्मू-कश्मीर ऋणी अनुतोष अधिनियम

(1976 का अधिनियम संख्यांक 15)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें ।

धारा 1.- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" रखें ।

धारा 2.- (i) उपधारा (1) में,-

(क) खंड (ii) में, "या जम्मू-कश्मीर संपत्ति अंतरण अधिनियम संवत्, 1977 की धारा 140" का लोप करें ;

(ख) खंड (v) में "जम्मू-कश्मीर की सरकार", के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र की सरकार" रखें ।

(i) उपधारा (10) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1977" के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें ।

धारा 3.- उपधारा (11) में, "परिसीमा अधिनियम, संवत्, 1995" के स्थान पर "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) का खंड 14" रखें ।

धारा 4.- परंतुक का लोप करें ।

धारा 12.- "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1977" के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें ।

धारा 22.- "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1977" के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें ।

धारा 30.- "जम्मू-कश्मीर परिसीमा अधिनियम, संवत्, 1995 के उपबंध" के स्थान पर "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के उपबंध" रखें ।

धारा 32.- "रणबीर दंड संहिता, संवत्, 1989 की धारा 21" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता (1860 का 45) की धारा 21" रखें ।

धारा 34.- लोप करें ।

20. जम्मू-कश्मीर पुस्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम

(1961 का अधिनियम संख्यांक 13)

धारा 1.- "राज्य" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" रखें ।

धारा 2.- खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर प्रैस और प्रकाशन अधिनियम संवत्, 1989 की धारा 5" के स्थान पर "प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25)" रखें ।

धारा 3.- खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर प्रैस और प्रकाशन अधिनियम संवत्, 1989 की धारा 26" के स्थान पर "प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25)" रखें ।

धारा 4.- खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर प्रैस और प्रकाशन अधिनियम संवत्, 1989" के स्थान पर "प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25)" रखें ।

21. जम्मू-कश्मीर उप मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम

(1957 का अधिनियम संख्यांक 6)

पूर्णतः निरसित ।

IndiaCode

22. जम्मू-कश्मीर उपाध्यक्ष और उपसभापति (उपलब्धियां) अधिनियम

(1956 का अधिनियम संख्यांक 22)

वृहद नाम.- "और उपसभापति" का लोप करें ।

धारा 1.- उप धारा (1) में, "और उपसभापति" का लोप करें ।

धारा 2.- खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखें –

'(क) "उपाध्यक्ष" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र के विधान मंडल का उपाध्यक्ष' अभिप्रेत है'।

धारा 3.- "और उपसभापति", जहां कहीं वह आता है, का लोप करें ।

23. जम्मू-कश्मीर बाह्य और आंतरिक संचलन (नियंत्रण) अध्यादेश

(संवत् 2005 का अध्यादेश संख्यांक 5)

संपूर्ण अध्यादेश में "राज्य" और "सरकार", के स्थान पर जहां जहां वह आता है, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र की सरकार" रखें ।

धारा 2.- "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें ।

धारा 3ग.- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 5.- उपधारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989 की धारा 61" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 57" रखें ।

धारा 8.- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" और "धारा 30" के स्थान पर, क्रमशः "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" और "धारा 29" रखें ।

धारा 9.- उपधारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 10.- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 12.- उपधारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989 की धारा 439" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 401" रखें ।

धारा 15.- "साक्ष्य अधिनियम, 1977" के स्थान पर "साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)" रखें।

धारा 17.- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 18.- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 19.- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

24. जम्मू-कश्मीर शत्रु अभिकर्ता अध्यादेश

(संवत् 2005 का अध्यादेश संख्यांक 8)

संपूर्ण अध्यादेश में, "राज्य" या "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" रखें और "सरकार" का "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र की सरकार" के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

धारा 4.- उपधारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

IndiaCode

धारा 5.- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 6.- उपधारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 7.- उपधारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 9.- उपधारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989 की धारा 439" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 401" रखें ।

धारा 12.- "साक्ष्य अधिनियम, 1977" के स्थान पर "साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)" रखें।

धारा 13.- उपधारा (4) में "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 15.- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 16.- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

25. जम्मू-कश्मीर राज्य आपात अनुतोष निधि अधिनियम

(1960 का अधिनियम संख्यांक 13)

पूर्णतः निरसित ।

26. जम्मू-कश्मीर उत्पाद शुल्क अधिनियम, संवत्, 1958 (1901 ए.डी.)

(1901 का राज्य परिषद् संख्यांक 9)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकार" का "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र की सरकार" के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

उद्देशिका.- "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" रखें ।

धारा 1.- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" रखें ।

धारा 3.- धारा 3 में,-

(i) खंड (11), खंड (12) और खंड (13) में "राज्य राज्यक्षेत्र" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र का राज्यक्षेत्र" रखें ; और

(ii) खंड (18) में, "राज्य सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर क्रमशः "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र की सरकार" और "राजपत्र" रखें ।

धारा 5, धारा 6 और धारा 8.- "राज्य" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" रखें ।

धारा 11.- दूसरे परंतुक में, "राज्य का राज्यक्षेत्र" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" रखें ।

धारा 11क.- उपधारा (2) में, "राज्य सरकार" के स्थान पर "सरकार" रखें ।

धारा 14क.- "राज्य में" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र में" रखें ।

धारा 16.- "राज्य के राज्यक्षेत्र में या राज्य में आयातित या वहां से निर्यातित" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र के राज्यक्षेत्र में या संघ राज्य-क्षेत्र में आयातित या वहां से निर्यातित" रखें ।

धारा 16क.- "राज्य" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर क्रमशः "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" और "राजपत्र" रखें ।

धारा 17 और धारा 24.- "राज्य" के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र" रखें ।

IndiaCode

धारा 32.- (i) "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ; और

(iii) परंतुक का लोप करें ।

धारा 34.- "राज्य" के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 38.- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1989" के स्थान पर "जम्मू – कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र " रखें ।

धारा 39.- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1989 का अध्याय 30 " के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का अध्याय 33" रखें ।

धारा 56-ख.- उपधारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 61.- (i) उपधारा (1) में "रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर, जहां कहीं वह आता हैं, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें ; और

(ii) उपधारा (2) के खंड (क) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर, , "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 64 - "जम्मू-कश्मीर सरकार" के स्थान पर, , "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें ।

IndiaCode

27. जम्मू-कश्मीर राल का निष्कर्षण अधिनियम

(1988 का अधिनियम सं. 9)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, , क्रमशः "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार" और "राजपत्र" रखें ।

धारा 1 ,- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, , "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2,- खंड (ड.) में, "वन्न अधिनियम, संवत्, 1987" के स्थान पर, , "भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)" रखें ।

धारा 3, - "राज्य" के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है,"जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 4,- उपधारा (2) में, "राज्य" के स्थान पर, , "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 7, - उपधारा (2) के खंड (घ) में, "राज्य" के स्थान पर, , "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

28. जम्मू-कश्मीर पारनौका निंयत्रण अधिनियम,

(1971 का अधिनियम सं. 18)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकार" से "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार" अभिप्रेत है ।

धारा 1 - उपधारा (2) में, "संपूर्ण राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

29. जम्मू-कश्मीर राज्य वित्त आयोग अधिनियम

(2006 का अधिनियम सं. 18)

पूर्णतः निरसित ।

30. जम्मू-कश्मीर पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए वित्त आयोग अधिनियम

(2011 का अधिनियम सं. 16)

धारा 1 - उपधारा (1) में "राज्य" का लोप करें ।

धारा 2 - (i) खंड (क) में "राज्य" का लोप करें ;

(ii) खंड (ख) में "राज्य" का लोप करें ;

(iii) खंड (घ) में, "जम्मू-कश्मीर की सरकार" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें ; और

(iv) खंड (छ) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें ।

धारा 3 - उपधारा (1) में "राज्य" का लोप करें ।

धारा 10 -"राज्य" के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें ।

धारा 11 -(i) उपधारा (2) के खंड (क) में, "राज्य" के स्थान पर, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ; और

(ii) उपधारा (2) के खंड (ख) में, "राज्य सरकार" के स्थान पर, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें

धारा 13 -उपधारा (1) में "सरकार" के स्थान पर, , जहां कहीं वह आता है, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें तथा "विधान-मंडल " के स्थान पर, "विधान सभा" रखें ।

धारा 15 -"रनबीर दंड संहिता की धारा 21" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता की धारा 21" रखें ।

31. जम्मू-कश्मीर अग्नि बल अधिनियम

(1967 का अधिनियम सं. 22)

धारा 1.- (i) उपधारा (2) में, "संपूर्ण राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

(ii) उपधारा (3) का लोप करें ।

धारा 2.-खंड (घ) के पश्चात्, अंतःस्थापित करें ।

'(घघ) "सरकार" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" अभिप्रेत है ।'

धारा 13.-उपधारा (1) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें ।

धारा 14.-"राज्य की संचित निधि" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि" रखें ।

धारा 16.-"सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, जहां जहां वह आता हैं "राजपत्र" रखें ।

धारा 17.- उपधारा (2) के खंड (च) में, "जम्मू-कश्मीर माध्यस्थम् अधिनियम, संवत्, 2002" के स्थान पर, "माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26)" रखें ।

धारा 19.-"सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें ।

धारा 21.-"जम्मू-कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें ।

32. जम्मू-कश्मीर राजवित्तीय उतरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम

(2006 का अधिनियम संख्यांक 12)

धारा 2.- (i) खंड (ख) के स्थान पर, रखें

'(ख) "बजट" से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 41 के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के विधान सभा के समक्ष रखा गया "वार्षिक वित्तीय विवरण" अभिप्रेत है ।;

(ii) खंड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखें –

'(ञ) "सरकार" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत हैं'।

धारा 5.-"विधान-मंडल" और " राज्य विधान-मंडल का प्रत्येक सदन" के स्थान पर, क्रमशः "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का विधान-मंडल" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा" रखें ।

धारा 6.-"राज्य अर्थव्यवस्था" और "राज्य सरकार" के स्थान पर, क्रमशः "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की अर्थव्यवस्था" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें।

धारा 9.-उपधारा (2) के, खंड (ज) के दूसरे परंतुक में, "राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के समक्ष" रखें।

धारा 11.-(i) उपधारा (1) में, "राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के समक्ष" रखें ;

(ii) उपधारा (2) के परंतुक में, "जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन सरकार की संचित निधि" के स्थान पर, , "जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार की संचित निधि" रखें;

(iii) उपधारा (5) में, "राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन में" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के समक्ष" रखें।

धारा 12.- "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।

धारा 13.- "राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष" और "सदन" के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं क्रमशः "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के समक्ष" और "विधान सभा" रखें ।

धारा 16.- (i) उपधारा (1) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।

(ii) उपधारा (2) में "राज्य विधान-मंडल" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ की राज्यक्षेत्र की विधान सभा" रखें।

IndiaCode

33. जम्मू-कश्मीर मत्स्य उद्योग अधिनियम

(2018 का अधिनियम संख्यांक 16)

संपूर्ण अधिनियम में "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।

धारा 2.-खंड (छ) में, "जम्मू-कश्मीर सरकार" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें।

धारा 12.-उपधारा (3) में, "परिसीमा अधिनियम संवत् 1995" के स्थान पर, "परिसीमा अधिनियम 1963 (1963 का 39)" रखें।

धारा 17.-"दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 18.-(i) उपधारा (1) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

(ii) उपधारा 3 में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989 की धारा 403" के स्थान पर, , "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 300" रखें।

धारा 19.-"राज्य" का लोप करें।

धारा 21.-"रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें।

धारा 28.-"दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, " भारतीय दंड संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

34. जम्मू-कश्मीर राज्य वन निगम अधिनियम

(1978 का अधिनियम संख्यांक 12)

पूर्णतः निरसित ।

35. जम्मू-कश्मीर वन संरक्षण बल अधिनियम

(2001 का अधिनियम संख्यांक 6)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार" रखें ।

धारा 1.-उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें;

धारा 2 (i) खंड (घ) में :--

(क) उपखंड (i) में, "सीमांकित वन", "असीमांकित वन" और "जम्मू कश्मीर वन अधिनियम, संवत्त, 1987" के स्थान पर, , क्रमश: "आरक्षित वन", "संरक्षित वन" और "भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)" रखें ; और

(ख) उपखंड (ii) में, "जम्मू कश्मीर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1978" के स्थान पर, , "वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53)" रखें ;

(ii) खंड (ङ) में, "जम्मू कश्मीर सरकार" के स्थान पर, , "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें; और

(iii) खंड (ज) में, "जम्मू कश्मीर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनयम, 1978 या जम्मू कश्मीर वन अधिनियम, संवत्त, 1987" के स्थान पर, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) या भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)" रखें ।

धारा 6—उपधारा (2) में, "राज्य सरकार" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें ।

धारा 7—उपधारा (1) में, "जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 126" के स्थान पर, , "भारत के संविधान के अनुच्छेद 311" रखें ।

धारा 10 —(i) उपधारा (1) के खंड (i) में, "जम्मू कश्मीर वन अधिनियम, संवत्त, 1987" और "जम्मू कश्मीर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1978" के स्थान पर, क्रमश: "भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)" और "वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53)" रखें ।

(ii) उपधारा (9) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, संवत्त, 1989," के स्थान पर, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)", रखें ।

धारा 11—उपधारा (2) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, संवत्त, 1989," के स्थान पर, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)", रखें ।

धारा 16—उपधारा (2) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, संवत्त, 1989," के स्थान पर, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)", रखें ।

धारा 18—उपधारा (4) में, "राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक संदन" और "दोनों सदन" के स्थान पर, क्रमश: "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" और "विधान सभा" रखें ।

36. जम्मू-कश्मीर फल नर्सरी (अनुज्ञापन) अधिनियम,

(1987 का अधिनियम संख्यांक 22)

धारा 1—उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2—खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें—

'(गग) "सरकार" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है' ।

धारा 7—"राज्य" के स्थान पर, , जहां-जहां वह आता है "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 17—"दण्ड प्रक्रिया संहिता, संवत्त, 1989" के स्थान पर, , "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 18—"जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दण्ड संहिता की धारा 21" के स्थान पर, , "भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21" रखें ।

धारा 21—उपधारा (3) में, "राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक संदन के समक्ष" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" रखें ।

37. जम्मू-कश्मीर दान माल (विधिविरूद्ध कब्जा) अधिनियम,

(1963 का अधिनियम संख्यांक 40)

धारा 1—उपधारा (2) में, "संपूर्ण राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 4—"दण्ड प्रक्रिया संहिता, संवत्त, 1989" के स्थान पर, , "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

38. जम्मू-कश्मीर गोल्फ विकास और प्रबंध प्राधिकरण अधिनियम,

(2013 का अधिनियम संख्यांक 7)

पूर्णतः निरसित ।

39. जम्मू-कश्मीर सरकारी राजपत्र अधिनियम,

(संवत्त, 1945 का अधिनियम संख्यांक 12)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य", "सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, , जहां-जहां वे आते है क्रमश: "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र", "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" और "राजपत्र" रखें ।

40. जम्मू-कश्मीर राज्यपाल का विशेष सुरक्षा बल अधिनियम

(2018 का राज्यपाल अधिनियम संख्यांक 42)

संपूर्ण अधिनियम में , "राज्यपाल", "राज्य" और "सरकार" के स्थान पर, , जहां-जहां वे आते है "उप राज्यपाल", "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें ।

वृहत् नाम - "जम्मू-कश्मीर राज्यपाल" के स्थान पर, , "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के उप राज्यपाल" रखें ।

धारा 2—स्पष्टीकरण में, "राज्य रणवीर दंड संहिता" के स्थान पर, "भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 46)" रखें ।

41. जम्मू-कश्मीर अभ्यासिक अपराधी (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम,

(1956 का अधिनियम संख्यांक 11)

संपूर्ण अधिनियम में "राज्य", और "सरकार" के स्थान पर, , जहां-जहां वे आते हैं "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें ।

धारा 1—उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, , "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2—"दण्ड प्रक्रिया संहिता, संवत्त, 1989" के स्थान पर, , "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 18—उपधारा (2) में, "संहिता" के स्थान पर, ,"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 21— "रणवीर दण्ड संहिता, (1989 का अधिनियम संख्यांक 12)" के स्थान पर, "भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45)" रखें ।

धारा 24— उपधारा –(1) और उपनियम-(2) में, "राज्य संहिता की धारा 565" के स्थान पर, "दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2) की धारा 356" रखें ।

अनुसूची—(i) खंड (1) और खंड (2) में "रणवीर दण्ड संहिता, (1989 का अधिनियम संख्यांक 12)" के स्थान पर, "भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)" रखें ।

(ii) खंड (3) में, "सार्वजनिक ध्युत अधिनियम, 1977 (1977 का 18)" के स्थान पर, "सार्वजनिक ध्युत अधिनियम, 1867 (1867 का 3)", रखें ; और

(iii) खंड (4) में, "आवश्यक आपूर्ति (अस्थाई शक्ति) अध्यादेश (2003 का अध्यादेश संख्या 1)" के स्थान पर, "आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10)" रखें ।

IndiaCode

42. जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प (क्वालिटी नियंत्रण) अधिनियम,

(1978 का अधिनियम संख्यांक 4)

धारा 1—उपधारा (2) में, "संपूर्ण राज्य" के स्थान पर, , "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2—खंड (ग) के पश्चात पर, निम्नलिखित अंतस्थापित करें -

'(गग) "सरकार" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है' ।

धारा 10—उपधारा (2) में, "रणवीर दण्ड संहिता, संवत्त, 1989" के स्थान पर, , "भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45)" रखें ।

धारा 12—उपधारा (2) में, "दण्ड संहिता, संवत्त, 1989 की धारा 102 और धारा 103" के स्थान पर, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2 की धारा 100)" रखें ।

43. जम्मू-कश्मीर परम्परा संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम

(2010 का अधिनियम संख्यांक 15)

संपूर्ण अधिनियम में "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2—खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित रखें -

'(ज) "सरकार" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है' ।

धारा 15—उपधारा (1) में, "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, "पचास हजार रुपये" रखें ।

44. जम्मू-कश्मीर राजमार्ग अधिनियम

(संवत्त 2007 का अधिनियम संख्यांक 27)

धारा 1—उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2—प्रारंभिक पैरा के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें -

' "सरकार" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है.'

45. जम्मू-कश्मीर होम गार्ड अधिनियम

(संवत्त 2006 का अधिनियम संख्यांक 3)

संपूर्ण अधिनियम में "सरकार" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 1—उपधारा (2) में, "संपूर्ण राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 6-ख—उपधारा (1) में, "रणवीर दण्ड संहिता, 1989" के स्थान पर, "भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)" रखें ।

धारा 6-ग—उपधारा (2) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, संवत्त, 1989" के स्थान पर, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

46. जम्मू-कश्मीर आवासन बोर्ड अधिनियम

(1976 का अधिनियम संख्यांक 7)

धारा 1-उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2—खंड (12) में, "शहरी क्षेत्र समिति या अधिसूचित क्षेत्र समिति" के स्थान पर, "नगर निगम या परिषद् या समिति" रखें ।

धारा 36—उपधारा (4) में, "रणवीर दण्ड संहिता" की धारा 193 और धारा 228 के स्थान पर, "भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228" रखें ।

धारा 39—"जम्मू-कश्मीर गृह और दुकान किराया नियंत्रण अधिनियम, 1966" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर आवासीय और वाणिज्यिक अभिद्धिति अधिनियम, 2012" रखें ।

धारा 40—"संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत्त, 1977" के स्थान पर, "संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4)" रखें ।

धारा 64— "रणवीर दण्ड संहिता", के स्थान पर, "भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45)" रखें ।

47. जम्मू-कश्मीर औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय त्यौहार) अवकाश अधिनियम,

(1974 का अधिनियम संख्यांक 13)

उद्देशिका--"राज्य" के स्थान पर, , "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 1—(i) उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ;

(ii) उपधारा (3) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें ।

धारा 6—उपधारा (2) "रणवीर दण्ड संहिता 1989" के स्थान पर, "भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)" रखें ।

IndiaCode

48. कारागार महानिरीक्षक (पदनाम में परिवर्तन) अधिनियम

(2001 का अधिनियम संख्यांक 13)

पूर्णतः निरसित ।

49. ईस्लामिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर अधिनियम

(2005 का अधिनियम संख्यांक 18)

धारा 2—(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखें—

'(ख) "बोर्ड" से वक्फ अधिनियम, 1995 (1955 का 43) की धारा 13 के अधीन स्थापित वक्फ बोर्ड अभिप्रेत है;' और

(ii) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित रखें ।

'(ज) "राज्य" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है' ।

धारा 8—(i) उपधारा (1) में, "मुख्यमंत्री" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उप राज्यपाल" रखें; और

(ii) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित रखें ।

"(4) आधारिक शाखाओं (इंजीनियरी,विज्ञान प्रबंधन और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान) के प्रत्येक संकाय के लिए एक-संकायाध्यक्ष होगा, जो ऐसी रीति और ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों के साथ नियुक्त किया जाएगा जो परिनियम द्वारा विहित किये जाएं और प्रत्येक अध्ययन केंद्र के लिए प्रधान होगा, जो ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों के साथ तथा ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा जो परिनियम द्वारा विहित किए जाएं।" ।

धारा 27 - "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें ।

अनुसूची- खंड (5) में, उप खंड (i) के स्थान पर रखें –

"(i) किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, यदि वह पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी है, विश्वविद्यालय परिषद द्वारा विहित सीमा से अनधिक वेतन और नि:शुल्क आवासीय आवास के अतिरिक्त कुलाधिपति द्वारा यथा अवधारित अन्य सुविधाएँ प्राप्त करेगा ।"

50. जम्मू- कश्मीर कचहरी अधिनियम

(संवत् 2011 का अधिनियम सं. 18)

धारा 1- उपधारा (2) में "संपूर्ण राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण जम्मू- कश्मीर का संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 3- खंड (4) में "जम्मू- कश्मीर वन अधिनियम,1987" के स्थान पर "भारतीय वन अधिनियम, 1927"(1927 का 16) रखें ।

धारा 25- "दंड प्रक्रिया संहिता" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 "(1974 का 2)" रखें ।

51. कश्मीर और जम्मू विश्वविद्यालय अधिनियम

(1969 का अधिनियम सं. 24)

धारा 8- "राज्य" के स्थान पर, जहाँ जहाँ वह आता है "जम्मू- कश्मीर का संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 10- "राज्यपाल" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उप राज्यपाल" रखें।

धारा 11- " जम्मू कश्मीर राज्य" के स्थान पर "जम्मू- कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें,

धारा 12 -उपधारा (5) के, दूसरे परंतुक में :-

IndiaCode

(i) "पांच वर्ष" के स्थान पर, "तीन वर्ष" रखें; और

(ii) प्रतिकुलपति के परामर्श से "जहां जहां वह आता है" लोप करें और "जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है" का भी लोप करें ।

धारा 16- उपधारा (1) में "सचिव, सरकार" के स्थान पर, "प्रशासनिक सचिव" रखें ।

52. कश्मीर रेशम संरक्षण अधिनयम

(संवत् 1964 की अधिसूचना सं. 14)

पूर्णतः निरसित ।

53. जम्मू-कश्मीर खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम

(1965 का अधिनियम संख्या 16)

संपूर्ण अधिनियम में,-

(i) "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें;

(ii) "राज्य विधान मंडल के दोनो सदन" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" रखें;

धारा 1 उपधारा (2) में "संपूर्ण राज्य" के स्थान पर, "जम्मू- कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

घारा 32- "जम्मू कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता संवत्, 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें ।

54. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद् अधिनियम

(संवत् 1997 का अधिनियम सं. 31)

जम्मू-कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र के लिए संपूर्ण रूप से निरसित ।

55. लद्दाख बुद्ध संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम

(संवत् 2000 का अधिनियम सं. 18)

जम्मू-कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र के लिए संपूर्ण रूप से निरसित ।

56. जम्मू- कश्मीर लम्बरदारी अधिनियम

(1972 का अधिनियम सं. 10)

संपूर्ण अधिनयम में, "राज्य" के स्थान पर, जहां- जहां वह आता है, क्रमशः "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र " और "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें ।

धारा 1- उपधारा (2) में "संपूर्ण राज्य" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र संपूर्ण" रखें,

57. जम्मू- कश्मीर विधान सभा (अध्यक्ष की उपलब्धियां भत्ते) अधिनियम

(1956 का अधिनियम सं. 4)

धारा 1 - उपधारा (2) में "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।

58. जम्मू- कश्मीर राज्य विधायी परिषद् अध्यक्ष (उपलब्धियां) अधिनियम,

(1962 का अधिनियम सं. 28)

पूर्णतः निरसित ।

59. जम्मू- कश्मीर राज्य विधान मंडल सदस्यों की पेंशन अधिनियम

(1984 का अधिनियम सं. 2)

धारा 3- उपधारा (1- क), में अंत:स्थापित करें –

"परंतु कुल पेंशन प्रति मासिक पचहत्तर हज़ार रूपए से अधिक नहीं होगी ।"

धारा 3 ग- लोप करें ।

60. जम्मू- कश्मीर राज्य विधान मंडल (निरहर्ता निवारण) अधिनियम, 1962

(1962 का अधिनियम सं. 16)

संपूर्ण अधिनियम में "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर जहां-जहां वह आता है , "राजपत्र" रखें, ।

उद्देशिका और बृहद नाम- "राज्य विधान मंडल" के स्थान पर "संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा" रखें

धारा 2- उपधारा (क) में "जम्मू – कश्मीर राज्य विधान-मंडल" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" रखें, ।

धारा 3- (i) "जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल" के स्थान पर, जहाँ जहाँ वह आता है, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" रखें, ।

(ii) खंड (ख) में "जम्मू-कश्मीर राज्य विधान- मंडल का प्रत्येक सदन" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" रखें;

(iii) खंड (घ) में "राज्य " के स्थान पर, "संघ राज्यक्षेत्र " रखें;

(iv) उपखंड (घघ) के उप खंड (ii) में, "राज्य" के स्थान पर, "संघ राज्यक्षेत्र" रखें;

(v) खंड (ज) के उप खंड (xix) और उपखंड (xx) का लोप करें;

(vi) खंड (i) "जम्मू-कश्मीर सोसाइटी रजस्ट्रीकरण अधिनियम संवत्, 1998 या किसी अन्य विधि के अधीन" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन" रखें, ।

61. जम्मू- कश्मीर राज्य विधान मंडल कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1960

(1962 का अधिनियम सं. 37)

संपूर्ण अधिनयम में , " जम्मू- कश्मीर राज्य विधानमंडल" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा" रखें, ।

62. पथ कर उद्ग्रहण अधिनियम

(संवत्, 1995 का अधिनियम सं. 8)

संपूर्ण अधिनयम में, "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 1- उप-धारा (2) में "संपूर्ण जम्मू- कश्मीर राज्य" के स्थान पर, " संपूर्ण जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

IndiaCode

63. जम्मू- कश्मीर प्रवासी स्थावर संपत्ति (परिरक्षण, संरक्षण और करस्थम विक्रय पर अवरोध) अधिनियम

(1997 का अधिनियम सं. 16)

धारा 1- उप-धारा (2) में "संपूर्ण जम्मू- कश्मीर राज्य" के स्थान पर, " संपूर्ण जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 6 – (i) उपधारा (2) में परंतुक का लोप करें ;और

(ii) उप- धारा (2) के पश्चात् अंत:स्थापित करें –

"(3) सक्षम प्राधिकारी, को ऐसे रूप विधान में, जो विहित किया जाए, प्रवासियों की स्थावर संपत्ति के ब्यौरे तैयार करेगा ऐसी प्रवासी संपत्ति के अप्राधिकृत अधिभोगी को बेदखल करने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा जिसके अंतर्गत ऐसी कार्रवाई भी है जो धारा 5 में उपबंधित किया जाए ।"

64. जम्मू- कश्मीर प्रवासी (कार्यवाहियों पर रोक) अधिनियम

(1997 का अधिनियम सं. 17)

धारा 1 – उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू- कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

65. जम्मू- कश्मीर मंत्री और राज्य मंत्रियों का वेतन अधिनियम

(1956 का अधिनियम सं. 6)

धारा 3 – (i) उपधारा (1) के, खंड (क) में "आय-का अधिनियम, 1961 के अधीनउद्ग्रहणीय आय पर कर से अनन्य" का लोप करें;

(ii) उपधारा (1-क) का लोप करें ;

(iii) उप धारा (2) में "राज्य सरकार" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें ; –

(iv) उपधारा (3) के, परंतुक में "राज्यपाल" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उप-राज्यपाल" रखें।

धारा 3 क – "राज्यपाल" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उप-राज्यपाल" रखें ।

धारा 3 ख – "राज्यपाल" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उप-राज्यपाल" रखें।

धारा 4 – "राज्यपाल" के स्थान पर जहाँ-जहाँ वह आता है "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उप-राज्यपाल" रखें।

66. जम्मू- कश्मीर मंत्री और पीठासीन अधिकारी चिकित्सा प्रसुविधा अधिनियम

(1975 का अधिनियम सं. 22)

पुर्णतः निरसित ।

67. जम्मू- कश्मीर साहूकार और प्रत्यायित ऋण प्रदाता अधिनियम

(2010 का अधिनियम सं. 23)

धारा 1 – उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू- कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2 – (i) खंड (5) के स्थान पर रखें –

"(5) सरकार से जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है" ;

(ii) खंड (8) के उप खंड (ढ) में, "जम्मू– कश्मीर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत्, 1998" के स्थान पर, "सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21)" रखें;

IndiaCode

(iii) खंड (9) में, "जम्मू– कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1997" के स्थान पर, "विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39)" रखें।

धारा 3 – "सरकारी राजपत्र " के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।

धारा 8 – "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 10 – (i) उप धारा (5) में "सिविल प्रक्रिया संहिता संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5)" रखें।

(ii) उप धारा (6) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें ।

धारा 26 - "रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें।

धारा 28 – (i) उप धारा (1) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।

(ii) उप धारा (3) में, "राज्य विधान मंडल का प्रत्येक सदन" और "दोनों सदन" जहाँ-जहाँ वे आते हैं क्रमश: "जम्मू–कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" और "विधानसभा" रखें।

धारा 29 – "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।

धारा 30 - "राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के पटल पर" के स्थान पर, "जम्मू–कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के समक्ष" रखें ।

68. जम्मू- कश्मीर मोटर स्पिरिट और डीजल तेल (विक्रय पर कराधान) अधिनियम

(संवत् 2005 का अधिनियम सं. 5)

धारा 3क - उप धारा (1) में, "राज्य" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, क्रमश: "जम्मू–कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" और "राजपत्र" रखें;

धारा 11 – "दंड प्रक्रिया संहिता,1989" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 12 – "दंड प्रक्रिया संहिता,1989" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 15 – "दंड प्रक्रिया संहिता,1989" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 22ग – "परिसीमा अधिनियम, संवत्, 1995" के स्थान पर, "परिसीमा अधिनियम 1963 (1963 का 36)" रखें।

69. जम्मू- कश्मीर मोटर यान कराघान अधिनियम

(1957 का अधिनियम सं. 26)

संपूर्ण अधिनयम में, "जम्मू- कश्मीर राज्य" या "जम्मू- कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र " रखें।

धारा 1 – उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू- कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र " रखें ।

धारा 2 – (i) खंड (i) में, "जम्मू-कश्मीर मोटर यान अधिनियम संवत्, 1998" के स्थान पर, "मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का 59)" रखें;

(ii) खंड (i) के पश्चात् अंत:स्थापित करें –

(Ik) "सरकार" से "जम्मू- कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" अभिप्रेत है; और

(iii) खंड (VI), खंड (VII) और खंड (VIII)में "जम्मू-कश्मीर मोटर यान अधिनियम, संवत् 1998" के स्थान पर, " मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)" रखें।

धारा 3 – उपधारा (2) में,परंतुक का लोप करें ।

धारा 4 –(i) उपधारा (1) के खंड (ग) में, "(अनुसूची II में विनिर्दिष्ट अधिकतम से अनधिक)" का लोप करें,; और

(ii) उपधारा (3) में, खंड (क) के उपधारा के (ii) में , "जम्मू-कश्मीर मोटर यान अधिनियम, संवत्, 1998" के स्थान पर, "मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)" रखें।

अनुसूची I और अनुसूची II का लोप करें ।

70. जम्मू- कश्मीर शहतूत संरक्षण अधिनियम

(संवत् 2006 का अधिनियम सं. 10)

संपूर्ण अधिनयम में , "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 1 – उपधारा (2) में, "जम्मू- कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2 – "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 3 – खंड (2) के पश्चात् अंत:स्थापित करें -

(2 क) - "सरकार" से जम्मू- कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार, अभिप्रेत है ।

धारा 11 – "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 15 – उप- धारा (1) के परंतुक में "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 16 – "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989 का अध्याय 19" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का अध्याय 17" रखें ।

71. जम्मू- कश्मीर नगरपालिका लोकपाल अधिनियम

(2010 का अधिनियम सं. 20)

संपूर्ण अधिनयम में, "सरकारी राजपत्र" "राज्यपाल" और "राज्य" के स्थान पर, "राजपत्र" "उपराज्यपाल" और "जम्मू- कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2 – (i) खंड (ङ) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य रणबीर दंड संवंत, 1989 का अध्याय 9 या जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संवत् 2006 के अधीन" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) का अध्याय 9 या भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन" रखें;

(ii) खंड (च) में, "जम्मू- कश्मीर सरकार" के स्थान पर, "जम्मू- कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें ।

(iii) खंड (त) का लोप करें ।

धारा 3 – उप धारा (1) में –

(i) पहले परंतुक में, "उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र है" के स्थान पर, "उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र है या जिसने सरकार के आयुक्त या सचिव का या समतुल्य पंक्ति का पद धारित किया हो" रखें; और

(ii) दूसरे परंतुक में, "राज्यपाल, विधान परिषद के सभापति से परामर्श करेगा" के स्थान पर, "उप- राज्यपाल परामर्श करेगा" रखें।

IndiaCode

(iii) दूसरे परंतुक के पश्चात् अंत:स्थापित करें –

"परंतु यह भी कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 के अधीन जारी उद्घोषणा की निरंतता के दौरान उप राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर लोकपाल की नियक्ति की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) उप राज्यपाल के सलाहकार (जिनमें से एक उप राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो समिति का अध्यक्ष होगा); और

(ख) मुख्य सचिव (सदस्य - सचिव)" ।

धारा 4 –उप धारा (2) के स्थान पर , रखें –

"(2) लोकपाल ऐसे वेतन और भत्तों का हक़दार होगा , जो जम्मू- कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय के किसी न्यायधीश के लिए अनुज्ञेय है ।"

धारा 8 – "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

धारा 11 – उप धारा (4) के खंड (ख) में, "जम्मू– कश्मीर जांच आयोग अधिनियम, 1962" के स्थान पर, "जांच आयोग अधिनियम,1952, (1952 का 60)" रखें।

धारा 13 – उप धारा (3) का लोप करें ।

धारा 16 – उप धारा (3) में, "राज्य विधान सभा" के स्थान पर, "जम्मू– कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" रखें,

72. जम्मू- कश्मीर नगरपालिका लोक प्रकटन अधिनियम

(2010 का अधिनियम सं. 24)

उद्देशिका - "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू– कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

73. जम्मू- कश्मीर मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम

(1981 का अधिनियम सं. 22)

धारा 1. उपधारा (2) में "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान " संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखें ।

धारा 2- खंड (ख) और खंड (ग) में "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1977" में, जहां जहां वह आता है "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखें ।

धारा 6. "साक्ष्य अधिनियम, 1977" के स्थान पर, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)" रखें ।

74. जम्मू-कश्मीर नमधा क्वालिटी नियंत्रण अधिनियम, 2010

[संवत् 2010 का अधिनियम सं. 6 (1953 ए.डी)]

उद्देशिका –"जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखें ।

धारा 1.- उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखें ।

धारा 2.- खंड (ङ) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य " के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 6-ख: उपधारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता संवत् ,1989 की धारा 102 और धारा 103" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 100" को रखें ।

IndiaCode

75. राष्ट्रीय रक्षा निधि स्थावर संपत्ति का संदान (स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण से छूट) अधिनियम

(1963 का अधिनियम सं. 5)

संपूर्ण अधिनियम में , "सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के प्रति निदेशिका में क्रमश: "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" और "राजपत्र" के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

76. जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018

(2019 का अधिनियम 2)

धारा 3.- उपधारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र " रखें ।

धारा 4.- खंड (5) में, "और जम्मू-कश्मीर का संविधान" का लोप करें।

धारा 8.— "मुख्यमंत्री" के स्थान पर "मुख्य न्यायमूर्ति " रखें ।

धारा 12.—उपधारा (1) के खंड (घ) में, "मुख्य न्यायमूर्ति " के स्थान पर "कुलाधिपति " रखें ।

77. जम्मू-कश्मीर प्राकृतिक विपत्ति विनाश क्षेत्र सुधर अधिनियम

(संवत् 2011 का अधिनियम सं.38)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकार", "सरकारी राजपत्र" और "राज्य" के स्थान पर क्रमश: "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार", "राजपत्र" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

संपूर्ण अधिनियम में, "भूमि अर्जन अधिनियम" या "भूमि अर्जन अधिनियम, संवत्, 1990" के स्थान पर "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनार्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)" रखें ।

धारा 1—उपधारा (2) में, "संपूर्ण राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2- खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 1998" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर नगर पालिका अधिनियम, 2000" रखें ।

धारा 4- खंड (ण) में, "जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 1998, के स्थान पर शहर क्षेत्र अधिनियम, 1997" और "ग्राम पंचायत अधिनियम, 2008 के स्थान पर क्रमश: "जम्मू-कश्मीर नगर पालिका अधिनियम, 2000" और "जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989" रखें ।

धारा 9- "धारा 4 और धारा 6" के स्थान पर, पार्श्व टिपण्णी सहित जहां जहां वह आता है, " धारा 11 और धारा 19" रखें ।

धारा 10- "धारा 15, धारा 23,और धारा 24" के स्थान पर "जहां जहां वह आता है, "धारा 26, धारा 27 और धारा 28" रखें।

78. जम्मू-कश्मीर अजैव अवकर्षणीय पदार्थ (प्रबंध, हथालन और व्ययन) अधिनियम

(2007 का अधिनियम सं. 12)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र" और "राज्य" के स्थान पर जहां जहां वह आता है, क्रमश: "राजपत्र" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 1- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2- खंड (ट) का लोप करें ।

IndiaCode

धारा 6—उपधारा (4) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) रखें और "धारा 98" के स्थान पर "धारा 94" रखें ।

धारा 9- उपधारा (1) में, खंड (iv) के स्थान पर—

"(iv) जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंध) अधिनियम, 2010 में यथा परिभाषित, झीलों नदियों या आद्रभूमि या अन्य जल सरणी, कुल्या या जल साधन को नुकसान पहुंचाता है" रखें "।

धारा 10- (i) उपधारा (1) में, "5,000 रुपए" के स्थान पर, "50,000 रुपए" रखें ; और

(ii) उपधारा (2) में "10,000/- रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा" के स्थान पर "10,000/- रुपए से अन्यून " रखें ।

धारा 12—"दंड प्रक्रिया संहिता संवत् 1989 की धारा 260 से धारा 265" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 260, धारा 262 से धारा 265" रखें ।

79. जम्मू-कश्मीर अप्रचलित विधियां (निरसन) अधिनियम,

(अधिनियम संख्या 2010 का 27)

सम्पूर्ण अधिनियम में "राज्य" और"सरकार" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, क्रमश: "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार" रखें ।

80. जम्मू-कश्मीर पंचायत के लिए लोकपाल अधिनियम

(अधिनियम संख्या 2014 का 5)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्यपाल" और "राज्य" के स्थान पर जहां जहां वह आता है, क्रमश: "उप राज्यपाल" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखें ।

धारा-2 (i) उपखंड (ङ) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें ; और

(ii) खंड (च) में, "जम्मू-कश्मीर सरकार" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें ।

धारा 3— उपधारा (1) में,--

(i) दूसरे परंतुक में, "विधान परिषद् का सभापति" का लोप करें ।

(ii) तीसरे परंतुक के, अंत में, पूर्णविराम (।)चिह्न के स्थान पर अर्धविराम (:)चिह्न रखें और उसके पश्चात् अंत:स्थापित करें -

"परंतु जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 के अधीन जारी उदघोषणा के चालू रहने के दौरान, लोकपाल,--

(क) उपराज्यपाल के सलाहकारों (जिसमें की एक उपराज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो समिति का अध्यक्ष होगा); और;

(ख) मुख्य सचिव (सदस्य सचिव) ,

से मिलाकर गठित समिति की सिफारिश पर उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

धारा 8.—"सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) रखें ।

धारा 11.— उपधारा (4) में, "जम्मू-कश्मीर जांच आयोग अधिनियम, 1962" के स्थान पर, "जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60)" रखें ।

धारा 13.— उपधारा (3) का लोप करें ।

81. जम्मू-कश्मीर परा-चिकित्सा परिषद् अधिनियम

(2014 का अधिनियम सं. 7)

उद्देशिका - "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2.- खंड (घ) में,-

(i) उपखंड (ii) में, "जम्मू-कश्मीर होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 2 के खंड (घ) " के स्थान पर, "होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 2 का खंड (घ) " रखें ; और

(ii) उपखंड (iii) में, "जम्मू-कश्मीर आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्यांक 26) की धारा 2 के क्रमश: खंड (2) और खंड (3) " के स्थान पर, "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के उपबंध" रखें ।

धारा 5. - खंड (क) का लोप करें ।

धारा 31- उपधारा (3) में, "दंड प्रक्रिया संहिता संवत् 1989 " के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)"रखें ।

धारा 32 – उपधारा (4) में, "राज्य रणवीर दंड संहिता" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें ।

धारा 38- उपधारा (3) में, "साक्ष्य अधिनियम, संवत्, 1977" के स्थान पर, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)" रखें ।

धारा 42- "साक्ष्य अधिनियम, संवत् 1977 ", "लोक सेवक (जांच) अधिनियम, संवत् 1977" और "सिविल प्रक्रिया संहिता" के स्थान पर, क्रमश: "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872(1872 का 1) " "लोकसेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का 37)" और "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें ।

82. जम्मू-कश्मीर यात्री कराधान अधिनियम, 1963

(1963 का अधिनियम सं . 12)

धारा 12- उपधारा (5) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1977" शब्दों के स्थान पर, " सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" शब्द रखें ।

धारा 16ख-"परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995 " शब्दों के स्थान पर "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)" शब्द रखें ।

83. जम्मू-कश्मीर पादप रोग और नाशक जीव अधिनियम

(1973 का अधिनियम सं. 16)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 1 –उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 16- उपधारा (4) में, "राज्य विधानमंडल का प्रत्येक सदन" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" रखें ।

84. प्लाइबोर्ड उद्योग (शेयर और औद्योगिक उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम

(1987 का अधिनियम सं. 6)

पूर्णतः निरसित ।

85. पुलिस अधिनियम

(संवत् 1983 का अधिनियम सं. 2)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य" और "दंड प्रक्रिया संहिता संवत् 1989" के स्थान पर क्रमश: "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" और "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2)" रखें ।

86. जम्मू - कश्मीर विनिर्दिष्ट वृक्ष परिरक्षण अधिनियम

(1969 का अधिनियम सं. 5)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य" के स्थान पर **"जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र"** रखें ।

धारा 1- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

87. जम्मू-कश्मीर भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम

(1960 का अधिनियम सं. 40)

धारा 1- उपधारा (2) में, **"**संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 4- उपधारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता संवत् 1989 की धारा 61" शब्दों के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974का 2) की धारा 57" शब्द रखें ।

88. रिबन विकास निवारण अधिनियम

(संवत् 2007 का अधिनियम सं. 26)

धारा 1- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

***** **********

89. रम रसम निवारण अधिनियम

(संवत् 1997 का अधिनियम सं. 1)

उपधारा 2- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

IndiaCode

90. जम्मू-कश्मीर अभिध्वंस क्रियाकलापों का निवारण और दमन अधिनियम

(1965 का अधिनियम सं. 22)

धारा 2- (i) खंड (ख) में, **"**सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" और "जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 96 " के स्थान पर, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 217" रखें ।

(ii) खंड (ग) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

(iii) खंड (ग) के पश्चात् अंत:स्थापित करें -

"(घ) "सरकार" से "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" अभिप्रेत है" ।

धारा 11- "साक्ष्य अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) " रखें ।

धारा 12- "या संहिता की धारा 491 के अधीन किया कोई आदेश " का लोप करें ।

91. जम्मू-कश्मीर (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम

(1987 का अधिनियम सं. 20)

धारा 1- उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2- (i) खंड (च) के पश्चात्, अंत:स्थापित करें-

"(चच) "सरकार" से "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार"अभिप्रेत है" ।

(ii) खंड (ठ) में, "राज्य विधानमंडल" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा" रखें ।

धारा 7- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) " रखें ।

धारा 8- (i) दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) " रखें; और

(ii) खंड (iii) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989 की धारा 259-क के अधीन " के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 19 के अधीन" रखें ।

धारा 10- "रणवीर दंड संहिता की धारा 21" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21" रखें ।

92. जम्मू-कश्मीर प्राइवेट महाविद्यालय (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम

(2002 का अधिनियम सं. 22)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर जहां जहां वह आता है, "राजपत्र" रखें ।

उद्देशिका- "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 1- उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2- (i) खंड (च) के स्थान पर, रखें,-

(च) " सरकार" से "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" अभिप्रेत है " ।

(ii) खंड (i) के स्थान पर, रखें,-

"(i) "राज्य" से जम्मू –कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ।**"**

धारा 17- उपधारा (1) और उपधारा (2) में, "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 19- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) " रखें ।

IndiaCode

93.प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम

(संवत् 1977 का अधिनियम, 29)

धारा 1- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू –कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 3- खंड में शीर्ष "अप्राप्तवय" के अधीन, "वयस्कता अधिनियम, 1977" के स्थान पर, "वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9)" रखें ।

धारा 5- "राज्य" के स्थान पर **"जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र"** रखें ।

धारा 54- पैरा (4) में, "रणवीर दंड संहिता " के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें ।

धारा 55- "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(1908 का 5) " रखें ।

धारा 59- पैरा (5) में, "संपूर्ण राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 60- उपधारा (2) के उदाहरण में, "संपूर्ण राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 65- "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 83- "सिविल प्रक्रिया संहिता", जहां जहां वह आता है के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(1908 का 5) " रखें ।

धारा 86- "सिविल प्रक्रिया संहिता", के स्थान पर, जहां जहां वह आता है "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(1908 का 5) " रखें ।

धारा 89- "रणवीर दंड संहिता " के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें ।

धारा 98- (i) उपधारा (3) में, "रणवीर दंड संहिता की धारा 176 और धारा 177" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 176 और धारा 177" रखें ; और

(ii) उपधारा (4) में, "संहिता की धारा 193" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193" रखें ।

धारा 99- "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 145क- "राज्य" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 150- "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

94. जम्मू-कश्मीर वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कर अधिनियम

(2005 का अधिनियम सं. 9)

धारा 1- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2- (i) खंड (छ) में, "राज्य विधानमंडल के दोनों सदनो" और "राज्य विधानमंडल" के स्थान पर, क्रमश:, "जम्मू –कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का विधानमंडल" रखें ;

(ii) खंड (ञ) के स्थान पर, रखें ,-

"(ञ) " सरकार" से "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" अभिप्रेत है"; और

(iii) खंड (त) के स्थान पर, रखा जाएगा,-

"(त)" "राज्य" से "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" अभिप्रेत है ।

धारा 11- "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(1908 का 5)" रखें ।

धारा 20- "राज्य विधानमंडल" और "राज्य विधानमंडल का प्रत्येक सदन" के स्थान पर, क्रमश:, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का विधानमंडल" और "जम्मू- कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा" रखें ।

95. जम्मू-कश्मीर विनिर्दिष्ट तांबा बर्तन (मशीन द्वारा) विनिर्माण पर प्रतिषेध अधिनियम

(2006 का अधिनियम सं. 13)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर जहां जहां वह आता है, क्रमश:, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" और "राजपत्र" रखें ।

धारा 1- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2- खंड (ख) के स्थान पर, रखें,-

"(ख) सरकार" से "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" अभिप्रेत है ।"

96. जम्मू-कश्मीर रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम

(2011 का अधिनियम सं. 6)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य" या "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 1- उपधारा (2) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें ।

97. जम्मू-कश्मीर राज्य धूम्रपान प्रतिषेध (सिनेमा और रंगशाला) अधिनियम

(संवत् 2009 का अधिनियम सं. 18)

पूर्णतः निरसित ।

98. जम्मू-कश्मीर धूम्रपान प्रतिषेध और सार्वजनिक सेवा यान में गैर-धूम्रपानकर्ता का स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम

(1997 का अधिनियम सं. 20)

पूर्णतः निरसित ।

99. जम्मू-कश्मीर गंदी बस्ती निवासियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम

(2012 का अधिनियम सं. 11)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य" के स्थान पर **"जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र"** रखें ।

धारा 2- खंड 28 में, "जो जम्मू – कश्मीर राज्य का स्थायी निवासी है और।" का लोप करें ।

धारा 3- (i) उपधारा (1) में, "जो जम्मू – कश्मीर राज्य का स्थायी निवासी है और।" का लोप करें ।

(ii) उपधारा (2) में, दूसरे परंतुक का लोप करें ; और

IndiaCode

(iii) उपधारा (8) में , "जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1977" के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखें ।

धारा 5- उपधारा (1) में, खंड (IV) का लोप करें ।

धारा 16- उपधारा (3) में "जम्मू-कश्मीर भूमि अर्जन अधिनियम, संवत् 1990" के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)" रखें ।

धारा 19- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2)" रखें ।

धारा 24- उपधारा (3) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2)" रखें ।

100. जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड अधिनियम

(2013 का अधिनियम सं. 11)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र" और "राज्य" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, क्रमश:, "राजपत्र" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2- खंड (घ) के स्थान पर, रखें,-

"(घ) सरकार" से "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" अभिप्रेत है ।"

धारा 17- "राज्य विधानमंडल के दोनों सदन" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा" रखें ।

धारा 22- "राज्य रणवीर दंड संहिता" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) " रखें ।

101. जम्मू-कश्मीर निक्षेपकर्ता (वित्तीय स्थापन में) के हितों का संरक्षण अधिनियम

(संवत् 2018 का अधिनियम सं. 13)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2- खंड (ग) में, उपखंड (vii) के स्पष्टीकरण - 1 में "जम्मू-कश्मीर चिटफंड अधिनियम, 2016" के स्थान पर, "चिटफंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40)" रखें ।

धारा 8- उपनियम (3) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 9- उपधारा (6) में, पहले परंतुक का लोप करें ।

धारा 16- "दंड प्रक्रिया संहिता संवत् 1989 की धारा 497-क" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2) की धारा 438" रखें ।

धारा 15- उपधारा (1) और उपधारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता संवत् 1989 " के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

102.जम्मू-कश्मीर आम आदमी और लोक सेवक की आस्तियों की घोषणा और अन्य उपबंध अधिनियम

(1983 का अधिनियम सं. 5)

संपूर्ण अधिनियम में "राज्य", "रणवीर दंड संहिता", "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संवत् 2006", "राज्य विधानमंडल का प्रत्येक सदन" और "या राज्य विधानमंडल के दोनों सदन" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)", "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988(1988 का 49)", "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा" रखें । "

धारा 2-- खंड (ग) के उपखंड (i) में , "या, यथास्थिति, अध्यक्ष" का लोप करें ।

धारा 8-- खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 70 में" के स्थान पर, "जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) में" को रखें ।

103. जम्मू कश्मीर सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम

(1988 का अधिनियम सं. 17)

धारा 11-- "सिविल प्रक्रिया संहिता संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" करें ।

धारा 14-- उपधारा (1) में, "पांच हजार रुपयों" के स्थान पर, "पचास हजार रुपए" रखें ।

धारा 15-- संपूर्ण धारा में "सिविल प्रक्रिया संहिता संवत् 1977" के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें ।

धारा 23-- "राज्य की विधान मंडल का प्रत्येक सदन" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" को रखें ।

104. जम्मू कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम

(1978 का अधिनियम सं. 6)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य", "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" और "रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र", "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" और "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें ।

धारा 10-- परंतुक का लोप करें ।

धारा 14-- उपधारा (3) के स्थान पर रखें —

"(3) सरकार द्वारा, बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति छानबीन-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--

(क) मुख्य सचिव..... अध्यक्ष ;

(ख) प्रशासनिक सचिव,

गृह विभाग..... सदस्य ;

(ग) प्रशासनिक सचिव,

विधि, न्याय और

संसदीय कार्य विभाग..... सदस्य :

परंतु उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श के सिवाय उच्च न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश या आसीन जिला और सेशन न्यायाधीश की बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति नहीं की जाएगी।"।

105. जम्मू कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम

(2011 का अधिनियम सं. 9)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

IndiaCode

106. जम्मू - कश्मीर ठेकेदार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम

(1956 का अधिनियम सं. 16)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य" और "सरकार" के स्थान पर, क्रमश: "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" और "जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें।

धारा 1-- उपधारा (2) में, "संपूर्ण राज्य " के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 7-- "30 रु." के स्थान पर, "100 रु." रखें।

107. जम्मू - कश्मीर पर्यटक व्यापार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम

(1978 का अधिनियम सं. 9)

धारा 1-- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2-- (i) खंड (ण) में, "राज्य" के स्थान पर जहां जहां पर वह आता है, "जम्मू- कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ; और

(ii) खंड (त) के पश्चात, अंत:स्थापित करें —

'(थ) "सरकार" से "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" अभिप्रेत है'।

धारा 5-- उपधारा (1) के, खंड (क) में, "रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989 के अध्याय 13 और 17" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) का अध्याय 13 और अध्याय 17" रखें।

धारा 6-- उपधारा (1) के , खंड (ख) में, "रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989 का अध्याय 13 और अध्याय 17" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) का अध्याय 13 और अध्याय 17" रखें।

धारा 11-- उपधारा (1) के खंड (क) में, "रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989 का अध्याय 13 और अध्याय 17" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) का अध्याय 13 और अध्याय 17" रखें।

धारा 12-- उपधारा (1) के खंड (ख) में, "रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989 का अध्याय 13 और अध्याय 17" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) का अध्याय 13 और अध्याय 17" रखें।

धारा 15-- "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

धारा 20-- उपधारा (1) के , खंड (ख) में, "रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989 का अध्याय 13 और 17" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) का अध्याय 13 और अध्याय 17" रखें।

धारा 21-- उपधारा (1) के खंड (ख) में, "रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989 का अध्याय 13 और 17" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) का अध्याय 13 और अध्याय 17" रखें।

धारा 24-- "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

धारा 34-- "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 37-- " सिविल दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

धारा 45-- "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

धारा 46-- "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

धारा 50-- "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

IndiaCode

108. जम्मू-कश्मीर लेखा विनियमन अधिनियम

(संवत् 2001 का अधिनियम सं. 14)

धारा 1-- (i) खंड (ख) में, ''जम्मू कश्मीर राज्य'' के स्थान पर, ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र'' रखें; और

(ii) खंड (ग) में, ''सरकारी राजपत्र'' के स्थान पर ''राजपत्र'' रखें ।

धारा 2-- (i) खंड (ख) में, ''जम्मू-कश्मीर कंपनी अधिनियम '' के स्थान पर, ''कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)'' रखें; और

(ii) खंड (घ) के पश्चात् अंत:स्थापित करें—

'(घक) ''सरकार'' से ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार'' अभिप्रेत है ।

धारा 3-- उपधारा (2) में, ''साक्ष्य अधिनियम, 1977'' के स्थान पर, ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)'' रखें ।

109. जम्मू- कश्मीर आरक्षण अधिनियम

(2004 का अधिनियम सं. 14)

धारा 1-- उपधारा (2) में, ''संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य'' के स्थान पर, ''संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र'' रखें ।

धारा 2- (i) खंड (ज) के स्थान पर, रखें --

(ज) ''सरकार'' से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है ;

(ii) खंड (त) के पश्चात् अंत:स्थापित करें—

'(तक) ''राज्य'' से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है' ।

(iii) खंड (ण) के परंतुक में, ''राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर'' के स्थान पर, ''सरकार द्वारा इस निमित गठित आयोग की सिफारिशों पर'' रखें ।

धारा 13-- ''सरकारी राजपत्र'' के स्थान पर '' राजपत्र'' रखें ।

110. जम्मू-कश्मीर (आवासीय और वाणिज्यिक किराएदारी) अधिनियम

(2012 का अधिनियम सं. 5)

धारा 1-- ''राज्य'' के स्थान पर, ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र'' रखें ।

धारा 2-- (i) खंड (ङ) में, ''जम्मू-कश्मीर सरकार'' के स्थान पर, ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार'' रखें; और

(ii) खंड (ठ) में, ''राज्य निधि'' के स्थान पर, ''सरकारी निधि'' रखें ।

धारा 3-- (i) खंड (क) में, ''राज्य सरकार'' के स्थान पर, ''सरकार'' रखें;

(ii) खंड (च) में, ''जम्मू-कश्मीर वक्फ अधिनियम, 2001'' और ''न्यास अधिनियम, संवत् 1977'' के स्थान पर, क्रमश: ''वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43)'' और ''भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2)'' रखें ।

धारा 30-- धारा 30 और उसके परंतुक में, ''संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत् 1977'' और ''संविदा अधिनियम, संवत् 1977'' के स्थान पर, क्रमश: ''संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4)'' और ''भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9)'' रखें ।

IndiaCode

धारा 31-- "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (1908 का 5)" रखें ।

धारा 32-- (i) उपधारा (1) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (1908 का 5)" रखें; और

(ii) उपधारा (2) में,-

(क) "धारा 193 और धारा 228 तथा रणबीर दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए" के स्थान पर, "धारा 193 और धारा 228 तथा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए" रखें; और

(ख) "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 36-- "जम्मू-कश्मीर न्यायालय फीस अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर, "न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7)" रखें ।

धारा 37-- "राज्य की संचित निधि" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि" रखें ।

111. जम्मू-कश्मीर बंधक संपत्ति का प्रत्यास्थापन अधिनियम

(1976 का अधिनियम सं. 14)

उद्देशिका - "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 1-- उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2-- (i) उपधारा (1) के खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखें; और

(ii) उपधारा (2) में—

(क) खंड (ii) में, "या जम्मू-कश्मीर संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत् 1977 की धारा 140" का लोप करें ;

(ख) खंड (iii) में, "जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल या सरकार" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल या सरकार" रखें; और

(ग) खंड (v) में, "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 3-- (i) खंड (ii) के पश्चात् अंत:स्थापित करें --

'(iiक) "सरकार" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है ; और

(ii) खंड (vii) में, "संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर, "संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4)" रखें ।

धारा 7-- उपधारा (2) का लोप करें ।

धारा 13-- "सिविल प्रक्रिया संहिता 1977 के आदेश 21 के नियम 97 और नियम 98" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के नियम 97 और नियम 98" रखें।

धारा 15-- "जम्मू-कश्मीर परिसीमा अधिनियम, 1995" के स्थान पर, "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)" रखें ।

112. जम्मू-कश्मीर सड़क सुरक्षा परिषद् अधिनियम

(2018 का अधिनियम सं. 5)

उद्देशिका -- "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2-- खंड (i) के स्थान पर, रखें —

'(i) "सरकार" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है ।'।

धारा 3-- "राज्य का मुख्य सचिव" के स्थान पर, "संघ राज्यक्षेत्र का मुख्य सचिव" रखें।

धारा 4-- उपधारा (3) के खंड (ii) में, "राज्य सरकार" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें।

धारा 9-- "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 10-- "राज्य सरकार" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" रखें ।

धारा 22-- उपधारा (2) में, "राज्य विधान मंडल" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" रखें।

धारा 23-- उपधारा (3) में, "राज्य विधान मंडल" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" रखें।

धारा 29-- "जम्मू-कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें।

धारा 34-- उपधारा (3) में, "राज्य की विधान सभा" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" रखें।

113. जम्मू-कश्मीर केसर अधिनियम

(2007 का अधिनियम सं. 5)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य", "सरकार" और "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है क्रमश: "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र", "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" और " राजपत्र" रखें।

धारा 1-- उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2-- (i) खंड (च) के स्थान पर रखें-

'(च) "सरकार" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है ; और

(ii) खंड (ढ) के स्थान पर रखें-

'(ढ) "राज्य" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ।

धारा 3-- उपधारा (2) के परंतुक में, "कृषि मंत्री" के स्थान पर, "कृषि निदेशक के परामर्श से संबंधित जिले का उपायुक्त" रखें।।

धारा 12-- उपधारा (5) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

IndiaCode

114. नीलम अधिनियम

(संवत् 1989 का अधिनियम सं. 16)

संपूर्ण अधिनियम में, ''राज्य'' और ''राज्यक्षेत्र'' के स्थान पर, क्रमश: ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र'' और ''जम्मू-कश्मीर राज्यक्षेत्र'' रखें ।

धारा 1-- उपधारा (ii) में, ''संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य'' के स्थान पर, ''संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र'' रखें ।

धारा 2-- खंड (ज) में, ''जम्मू-कश्मीर राज्य'' के स्थान पर, ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र'' रखें ।

धारा 9-- ''दंड प्रक्रिया संहिता'' के स्थान पर,''दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974 का 2)'' रखें ।

धारा 17-- ''राज्य पदधारी'' के स्थान पर, ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का पदधारी'' रखें ।

115. जम्मू-कश्मीर राज्य भेड़ और भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड अधिनियम

(1979 का अधिनियम सं. 9)

संपूर्ण अधिनियम में, ''सरकार'' से ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार'' अभिप्रेत है ।

धारा 1-- उपधारा (2) में, ''संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य'' के स्थान पर, ''संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र'' रखें ।

धारा 4-- ''और विधान परिषद् से एक'' का लोप करें ।

धारा 22-- ''राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन'' के स्थान पर, ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा'' रखें ।

धारा 25-- ''राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन'' के स्थान पर, ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा '' रखें ।

धारा 28-- ''राज्य रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989'' के स्थान पर, ''भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)'' रखें ।

धारा 32-- उपधारा (3) का लोप करें ।

116. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम

(1982 का अधिनियम सं. 7)

संपूर्ण अधिनियम में, ''राज्यपाल'' और ''राज्य'' के स्थान पर, क्रमश: ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल'' और''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र'' रखें ।

धारा 14-- उपधारा (4) के परंतुक का लोप करें ।

धारा 25-- उपधारा (2) के स्थान पर रखें —

''(2) कुलपति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे, कार्यपालन का मूल्यांकन करने के पश्चात् दो वर्ष एक और अवधि के विस्तार के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए या उसके पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण करेगा और कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं तथा उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसमे उसके अहितकर रूप में परिवर्तन नहीं किया जायेगा"।"

IndiaCode

117. शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (उपाधियों का दिया जाना) अधिनियम

(1983 का अधिनियम सं. 12)

धारा 2-- खंड (क) में, ''जम्मू-कश्मीर सरकार'' के स्थान पर, ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार'' रखें ।

धारा 4-- ''जम्मू-कश्मीर राज्य विधान मंडल'' के स्थान पर, ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान-मंडल या विधान सभा'' रखें ।

118. जम्मू-कश्मीर श्री अमरनाथ जी पूजा स्थल अधिनियम

(2000 का अधिनियम सं. 18)

संपूर्ण अधिनियम में, ''राज्य सरकार'' पद का ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार'' के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

धारा 3-- खंड (ख) में, ''राज्य सरकार'' के स्थान पर, ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार'' रखें ।

धारा 4--उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य का राज्यपाल","जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल" और "राज्यपाल", के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, क्रमश: "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल", "जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल" और "उपराज्यपाल" रखें ।

धारा 8--"राज्यपाल" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल" रखें ।

धारा 19--"राज्यपाल" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल" रखें ।

119. जम्मू-कश्मीर श्री माता सुखराला देवी जी पूजास्थल और श्री माता बाला सुन्दरी पूजास्थल अधिनियम

(2013 का अधिनियम संख्यांक 3)

धारा 3-- खंड (ङ) के स्थान पर, रखें,--

'(ङ) "सरकार" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है ;'।

धारा 5— उपधारा (2) के स्पष्टीकरण का लोप करें ।

धारा 19-- "राज्य रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें ।

120. जम्मू-कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी पूजास्थल अधिनियम

(1988 का अधिनियम संख्यांक 16)

धारा 5--उपधारा (1) में,--

(i) खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य का राज्यपाल" और "राज्यपाल" के स्थान पर, क्रमश: "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल" और "उपराज्यपाल" रखें ; और

(ii) खंड (ख) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य का राज्यपाल" और "राज्यपाल" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, क्रमश: "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल" और "उपराज्यपाल" रखें ।

धारा 8-- खंड (च) में, "राज्यपाल" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल" रखें ।

धारा 9--"राज्यपाल" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल" रखें ।

धारा 11--"राज्यपाल" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल" रखें ।

IndiaCode

धारा 12--"राज्यपाल" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल" रखें ।

धारा 15--"राज्य रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें ।

धारा 19- उपधारा (1) में, "राज्यपाल" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल" रखें।

धारा 23-- "राज्यपाल" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल" रखें ।

121. जम्मू-कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय अधिनियम
(1999 का अधिनियम संख्यांक 12)

धारा 2--खंड (घ) के पश्चात्, अंत:स्थापित करें,--

'(घक) "विद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाला विद्यालय अभिप्रेत है ;'।

धारा 5--(i) खंड (4) के स्थान पर, रखें,--

"(4) विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में आचार्यों, सह-आचार्यों या सहायक आचार्यों या प्रवक्ताओं या अन्यथा के रूप में व्यक्तियों को नियुक्त करना या मान्यता देना ;";

(ii) खंड (6) के स्थान पर, रखें,--

"(6) श्री माता वैष्णो देवी पूजास्थल बोर्ड द्वारा संकाय या विद्यालय और हालों को स्थापित और अनुरक्षित करना, उसके द्वारा स्थापित हाल को मान्यता देना, मार्गदर्शित करना, पर्यवेक्षण और नियंत्रण तथा किसी ऐसी मान्यता को वापस लेना ;" ।

धारा 8—उपधारा (1) में, "राज्यपाल" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल" रखें ।

धारा 11—उपधारा (1) के स्थान पर, रखें,--

"(1) कार्यकारी परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(i) विश्वविद्यालय का कुलपति ;

(ii) जम्मू विश्वविद्यालय का कुलपति ;

(iii) कश्मीर विश्वविद्यालय का कुलपति ;

(iv) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष, पदेन ;

(v) चक्रानुक्रम द्वारा, ज्येष्ठता के अनुसार दो से अनधिक विद्यासाखा के प्रमुख ;

(vi) चक्रानुक्रम द्वारा, वरिष्ठता के अनुसार दो से अनधिक अध्ययन केंद्रों के प्रमुख ;

(vii) उपराज्यपाल का प्रधान सचिव, स्थायी आमंत्रिती, पदेन ;

(viii) श्री माता वैष्णो देवी पूजास्थल बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्थायी आमंत्रिती, पदेन ;

(ix) श्री माता वैष्णो देवी पूजास्थल बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन व्यक्ति, जिसमें से कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय का या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त या उससे संबद्ध किसी संस्थान या कोई कर्मचारी नहीं होगा ।"।

धारा 18 के स्थान पर, रखें,--

"18. विद्यालय— विद्यालय ऐसा विद्यालय होगा, जो श्री माता वैष्णो देवी पूजास्थल बोर्ड द्वारा स्थापित किया जाए और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यकारी परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त होगा ।"।

122. जम्मू-कश्मीर श्री शिव खोडी पूजास्थल अधिनियम
(2008 का अधिनियम संख्यांक 4)

धारा 3--खंड (घ) के स्थान पर, रखें,--

'(घ) "सरकार" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है ;'।

धारा 5—उपधारा (2) के स्पष्टीकरण का लोप करें ।

धारा 19--"राज्य रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें ।

IndiaCode

123. जम्मू-कश्मीर सिख गुरुद्वारा और धार्मिक विन्यास अधिनियम

(1973 का अधिनियम संख्यांक 15)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र" और "राज्य" का "राजपत्र" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" के रूप में अर्थ लगाया और अभिप्रेत होगा ।

उद्देशिका--"जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 1—(i) उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ; और

(ii) उपधारा (2क) में, "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2—खंड (ग) के पश्चात्, अंत:स्थापित करें,--

'(गग) "सरकार" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है ;'।

धारा 2क--"जम्मू-कश्मीर गृह और दुकान किराया नियंत्रण अधिनियम, 1996" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर (आवासीय और वाणिज्यिक) किराएदारी अधिनियम, 2012" रखें ।

धारा 4—(i) खंड (v) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ; और

(ii) खंड (vi) का लोप करें ।

धारा 12—खंड (vi) का लोप करें ।

124. कश्मीर सिल्क (विकास और उत्पादन) अधिनियम

(1988 का अधिनियम संख्यांक 28)

धारा 1—उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 6—"दंड प्रकिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर,"दंड प्रकिया संहिता,1973 (1974 का 2)" रखें।

125. जम्मू-कश्मीर विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम

(2000 का अधिनियम संख्यांक 6)

उद्देशिका--"जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2—(i) खंड (क) और खंड (ग) में, "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ; और

(ii) खंड (ज) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें ।

धारा 4—(i) उपधारा (1) में,--

(क) "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ; और

(ख) खंड (ग) का लोप करें ; और

(ii) उपधारा (3) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 6—"राज्य" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 16—उपधारा (3) में, "राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन" और "दोनों सदन सहमत हों" के स्थान पर, क्रमश: "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" और "विधान सभा सहमत हो" रखें ।

IndiaCode

126. जम्मू-कश्मीर विशेष अधिकरण अधिनियम

(1988 का अधिनियम संख्यांक 19)

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य", "सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, क्रमश: "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र", "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" और "राजपत्र" रखें ।

उद्देशिका--"राज्य विधान मंडल " के स्थान पर, "संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" रखें ।

धारा 3—(i) "राज्य विधान मंडल " के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" रखें ;

(ii) उपधारा (1) में, " किन्तु उपधारा (2) में यथा उपबंधित के सिवाए," का लोप करें ; और

(iii) उपधारा (2) का लोप करे और उपधारा (3) को उपधारा (2)के रूप में पुन:संख्यांकित करें ।

धारा 8—"रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989 की धारा 21" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21" रखें ।

127. जम्मू-कश्मीर स्टांप अधिनियम, 1977

(संवत् 1977 का अधिनियम संख्यांक 40)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकार", "सरकारी राजपत्र" और "राज्य" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, क्रमश: "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार", "राजपत्र" और "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 1—उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2—खंड (22क) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें ।

धारा 27—उपधारा (3) में, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखें ।

धारा 33—उपधारा (2) के खंड (क) के परंतुक में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 के अध्याय 12 या अध्याय 36" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 या अध्याय 10 का भाग घ" रखें ।

धारा 35—खंड (घ) के परंतुक में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 42—उपधारा (2) के खंड (ख) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें ।

धारा 47क—(i) उपधारा (1) में, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखें ; और

(ii) उपधारा (5) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें ।

धारा 48—उपधारा (3) में, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखें ।

धारा 61—"दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 के अध्याय 12 या अध्याय 36" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 या अध्याय 10 का भाग घ" रखें ।

धारा 64क--उपधारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 72—"दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

IndiaCode

अनुसूची 1

अनुच्छेद 6—खंड (ख)(i) के स्तंभ 3 में, "0.50%" के स्थान पर, "0.25%" रखें और "पांच लाख रुपए" के स्थान पर, "न्यूनतम एक हजार रुपए और अधिकतम पचास हजार रुपए" रखें ।

अनुच्छेद 12—खंड (क) के स्तंभ 3 में, "अधिकतम 0.024% के अधीन रहते हुए, प्रत्येक तीन मास या उसके आंशिक भाग के लिए बिल की रकम पर 0.06%" के स्थान पर, "भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) से संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दर" रखें ।

अनुच्छेद 22—"अधिकतम 0.25% के अधीन रहते हुए, डिबेंचर के अंकित मूल्य का 0.05% प्रति वर्ष या 25 लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो" के स्थान पर, "भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) से संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दर" रखें ।

अनुच्छेद 30—"दस रुपए" के स्थान पर, "भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) से संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दर" रखें ।

अनुच्छेद 40—खंड (ख) के स्तंभ 3 में, "अधिकतम 5,000 रुपए के अधीन संदाय किए गए शेयर के मूल्य या रकम का 2%" के स्थान पर, "50,000 रुपए" रखें ।

अनुच्छेद 41—खंड (अ) में, "दस रुपए" और "अनुच्छेद सं. 54 के अधीन प्रभार्य किसी रकम, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, मूल पालिसी के संबंध में संदेय शुल्क का आधा" के स्थान पर, "भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) से संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दर" रखें ।

अनुच्छेद 43—खंड (ख) के स्तंभ 3 में, "दस रुपए" और "न्यूनतम दस रुपए के अध्यधीन, मांग के सिवाए, संदेय समान रकम के लिए विनिमयपत्र (सं. 12) के लिए यथालागू शुल्क का एक-बटा पांच" के स्थान पर, "भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) से संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दर" रखें ।

अनुच्छेद 45—स्तंभ 3 में, "दस रुपए" के स्थान पर, "भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) से संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दर" रखें ।

अनुच्छेद 46—स्तंभ 3 में, "दस रुपए" के स्थान पर, "भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) से संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दर" रखें ।

अनुच्छेद 54(क)—स्तंभ 3 में, "शेयरों के मूल्य के प्रत्येक सौ रुपए या उसके भाग के लिए पच्चीस पैसे" के स्थान पर, "भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) से संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दर" रखें ।

128. जम्मू-कश्मीर किराएदारी अधिनियम, 1980

(संवत् 1980 का अधिनियम संख्यांक 2)

पूर्णतः निरसित ।

129. जम्मू-कश्मीर राज्य नगर योजना अधिनियम

(1963 का अधिनियम संख्यांक 20)

"सरकारी राजपत्र" और "राज्य भूमि अर्जन अधिनियम, संवत् 1990" के स्थान पर, जहां जहां वह आता है , क्रमश: "राजपत्र" और "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)" रखें ।

धारा 1—उपधारा (2) में, "संपूर्ण राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 3—खंड (ण) में, "जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, संवत् 2008 या जम्मू-कश्मीर नगरक्षेत्र अधिनियम, संवत् 2011" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000" रखें ।

IndiaCode

धारा 18—उपधारा (6) में, " माध्यस्थम् अधिनियम, संवत् 2002" के स्थान पर, "माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996" रखें ।

धारा 27—परंतुक में, "भूमि अर्जन अधिनियम, संवत् 1990 की धारा 4 और धारा 6" के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 और धारा 19" रखें ।

धारा 28—"भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 15, धारा 23 और धारा 24" के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 26, धारा 27 और धारा 28" रखें ।

130. जम्मू-कश्मीर निखात- निधि अधिनियम

(1897 का परिषद् संकल्प सं. 37)

पूर्णतः निरसित ।

131. नगर स्थावर संपत्ति कर (निरसन और व्यावृत्ति) अधिनियम

(2002 का अधिनियम संख्यांक 28)

पूर्णतः निरसित ।

132. लद्दाख विश्वविद्यालय अधिनियम

(2018 का राज्यपाल अधिनियम संख्यांक 56)

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए पूर्णतः निरसित ।

133. जम्मू कश्मीर नगर संपत्ति (अधिकतम सीमा) अधिनियम

(1971 का अधिनियम संख्यांक 12)

पूर्णतः निरसित ।

134. अति ब्याज उधार अधिनियम

(संवत् 1977 का अधिनियम संख्यांक 47)

पूर्णतः निरसित ।

135. जम्मू-कश्मीर टीका अधिनियम

(1967 का अधिनियम संख्यांक 21)

पूर्णतः निरसित ।

IndiaCode

136. जम्मू-कश्मीर वनस्पति बीज अधिनियम

(संवत् 2009 का अधिनियम संख्यांक 12)

पूर्णतः निरसित ।

137. जम्मू-कश्मीर राज्य सतर्कता आयोग अधिनियम

(2011 का अधिनियम संख्यांक 1)

पूर्णतः निरसित ।

138. जम्मू-कश्मीर बल्ला काष्ठ (निर्यात और संचलन प्रतिषेध) अधिनियम

(2000 का अधिनियम संख्यांक 16)

धारा 1—उपधारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 4—उपधारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर वन अधिनियम, संवत् 1987" के स्थान पर, "भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16)" रखें ।

[फ़ा. सं. 11014/05/2014-के.I]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF JAMMU, KASHMIR AND LADAKH AFFAIRS)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 2020

S.O. 1229(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Jammu and Kashmir, namely:–

1. (1) This Order may be called the Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Order, 2020.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of laws in force in the territory of India.

3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the said Schedule, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or the certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify or repeal any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31st October, 2019; and any such notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case.

6. The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

(a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) or this Order had not been passed.

THE SCHEDULE

(See Paragraph 3)

STATE LAWS

1. THE AGRICULTURISTS RELIEF ACT, 1983

(Act No. 1 of Samvat 1983)

Repeal as a whole.

2. THE JAMMU AND KASHMIR GOVERNMENT AID TO AGRICULTURISTS AND LAND IMPROVEMENT ACT

(Act No. VII of Samvat 1993)

Repeal as a whole.

3. THE JAMMU AND KASHMIR STATE AID TO INDUSTRIES ACT

(Act No. XXII of 1961)

Repeal as a whole.

4. THE JAMMU AND KASHMIR ANATOMY ACT

(Act No. XXII of 1959)

Section 1.— In sub-section (2), for "whole of the State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 6.— For "five hundred rupees" substitute "five thousand rupees."

Section 9.— For "State Ranbir Penal Code, Samvat, 1989" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

5. THE JAMMU AND KASHMIR ANCIENT MONUMENTS PRESERVATION ACT

(Act No. V of Samvat 1977)

Section 10-A.— In sub-section (3), for "twenty thousand rupees" substitute "fifty thousand rupees.".

Section 15.— In sub-section (2), for "one thousand rupees" substitute "fifty thousand rupees." .

Section 16, sub-section (2) of section 17 and sub-section (4) of section 18.— For "twenty thousand rupees" substitute "fifty thousand rupees.".

Section 20-A.— (i) For "Archaeological Department" substitute "Department of Archaeology, Archives and Museums";

(ii) omit "or in the case of Ladakh district, the Deputy Commissioner of that District".

Section 20-B.— In sub-section (4), for "twenty thousand rupees" substitute "fifty thousand rupees**".**

Section 22-A.— For "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)".

6. THE JAMMU AND KASHMIR BABA GHULAM SHAH BADSHAH UNIVERSITY ACT

(Act No.XVI of 2002)

Throughout the Act, for "Council" substitute "Board".

Section 2.– (i) Existing clause (a) shall be renumbered as (aa), and before the so re-numbered clause insert -

'(a) "affiliated college" means college which has been granted affiliation by the University;';

(ii) For clause (b), substitute -

'(b) "Board" means a Board established under section 13 of the Waqf Act, 1995(Central Act No.43 of 1995);' ;

(iii) After clause (c), insert-

'(cc) "offsite or satellite campus" means campus established and maintained by the University outside the main campus;'.

Section 4.— For "scientific and technical" substitute "scientific, technical and multidisciplinary".

IndiaCode

Section 5.— (i) In clause (4), for "Readers or Lecturers" substitute "Associate Professors or Assistant Professors";

(ii) for clause (6), substitute -

'(6) "to establish, maintain, recognise and affiliate colleges and Halls, to recognise guide, supervise and control Halls established by the Council or Trust or Government and to withdraw such recognition.'.

Section 8.– In sub-section (1), for "Chief Minister" substitute "Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 12.— In sub-section (1), after clause (vii) insert -

"(viii) not more than two Principals of affiliated Colleges on rotation basis to be nominated by the Vice-Chancellor.".

Section 19. — Substitute -

"**19. Colleges.—**The Colleges shall be such, as may be established by the Board or Trust or Government and recognised by the Executive Council in accordance with this Act.".

7. THE JAMMU AND KASHMIR BOARD OF PROFESSIONAL ENTRANCE EXAMINATION ACT

(Act No.XXV of 2002)

Throughout the Act, for "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.— (i) In clause (h), after "medical colleges, Jammu/Srinagar," insert "Kathua, Rajouri, Doda, Baramulla, Anantnag," ;

(ii) omit clause (j).

Section 20.— For "Ranbir Penal Code, Samvat, 1989" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

8. THE JAMMU AND KASHMIR STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION ACT, 2002

(Act No. XXIV of 2002)

Section 1.— In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. — (i) In clause (h), for "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir";

(ii) for clause (n), substitute —

'(n) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir'; and

(iii) omit clause (w).

Section 13. — For "State" wherever occurring substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 30. — For "Ranbir Penal Code, Samvat 1989" and Criminal Procedure Code, Samvat 1989" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)" and "Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)" respectively.

9. THE JAMMU AND KASHMIR BRICK KILNS (REGULATION) ACT

(Act No. XVII of 2010)

Section 2.- In clause (h), for "the State of Jammu and Kashmir" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 3.— For sub-section (4), substitute -

"(4) No person shall establish a brick kiln or apply for renewal unless he -

(a) produces non-agriculture land use rights certificate from Revenue Department;

(b) produces consent to establish certificate from the Union territory State Pollution Control committee;

(c) has an adequate mud stock as raw material for such brick kiln on an uneven, unproductive land to be certified by the District Agriculture Officer.".

Section 4.—

(i) In clause (c), for "the Banjri- kadim" substitute "Gair Mujruba (Uncultivable land) as recorded in last jamabandi";

(ii) in clause (d), for the Jammu and Kashmir Forest Act, 1987 substitute "the Indian Forest Act, 1927(16 of 1927)".

Sections 6.—

(i) In sub-section (1), for "in an area of the State" substitute "in an area of the Union territory of Jammu and Kashmir";

(ii) in sub-section (4), for "Every application under sub-section (1) and sub-section (2)" substitute "Every application under sub-section (1), sub-section (2) and sub-section (3)";

(iii) in sub-section (5), for "If, on receipt of an application" substitute "If, on receipt of an application under sub-section (3)"; and

(iv) in sub-section (6), in clause (d), for "and punitive action" substitute "and punitive action by way of imposing such fine as may be prescribed by the Licensing Authority".

Section 8.— In sub-section (1), for "rupees thirty thousand" substitute " rupees fifty thousand or such higher amount as may be fixed by the Government from time to time."

Section 12.— In the Explanation, for "102 and 103 of the Code of Criminal Procedure Samvat 1989" substitute "the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)".

Section 13.— For "whole State" and "Government Gazette" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir" and "Official Gazette" respectively.

Section 18.— For "Hoarding and Profiteering Prevention Ordinance Samvat 2000 and any other law" substitute "any law".

Section 23.— For "State Ranbir Penal Code" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

10. THE JAMMU AND KASHMIR CAMPING AND MOORING SITES ACT

(Act No. XII of Samvat 2004)

Section 1. - In sub-section (ii), in clause (a), at the end, add "and Jammu Division".

Section 2. - For clause (d), substitute -

'(d) "Director" means Director Tourism Kashmir or Jammu.'.

Section 6.— For "rupees five hundred" substitute "rupees fifty thousand".

11. THE JAMMU AND KASHMIR CHOWKIDARI ACT

(Act No. XXXVII of 1956)

Section 1.— In sub-section (2), for "the Jammu and Kashmir State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.— In clause (b), for "as defined in Jammu and Kashmir Town Area Act, 2011" substitute "declared as such".

Section 3.— For "Government" wherever occurring, substitute "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 11.— For "Ranbir Penal Code, 1989" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

12. THE JAMMU AND KASHMIR CIVIC LAWS (SPECIAL PROVISIONS) ACT

(Act No. III of 2014)

Repeal as a whole.

13. THE JAMMU AND KASHMIR CIVIL COURTS ACT, 1977 (1920 A.D.)

(Act No. XLVI of Samvat 1977)

Throughout the Act, for "the Government" substitute "the Government of Union territory of Jammu and Kashmir.".

Section 1.— In sub-section (2), for "whole of Jammu and Kashmir State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. — Omit clause (i).

Section 3. — For "Jammu and Kashmir State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 13. — Omit "the Courts of Small Causes established under the Small Cause Court Act".

Section 14. — For "State" wherever occurring substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 36. — For "State" wherever occurring substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 43. — "High Court of Judicature, Jammu and Kashmir State" shall be construed to mean as common High Court of the Union territory of Jammu and Kashmir and the Union territory of Ladakh.

14. THE JAMMU AND KASHMIR CIVIL SERVICES (DECENTRALIZATION AND RECRUITMENT) ACT

(Act No.XVI of 2010)

Throughout the Act, references to "State Cadre" shall be construed as references to "Union territory Cadre".

Section 1. — In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. — (i) After clause (c), insert —

'(ca) "Domicile" means Domicile as defined in section 3A of this Act.';

(ii) for clause (d), substitute —

'(d) "Government" means Government of the Union territory of Jammu and Kashmir.'.

For section 3, substitute –

Application of Act.

"3. The provisions of this Act shall apply to -

(a) all the Gazetted and non-Gazetted posts borne on the establishment of any Department or Service of the Government; and

(b) Class IV posts borne on the establishment of any Department or Service of the Government or any Government company, organization and body substantially owned or controlled by the Union territory**:**

Provided that the provisions of this Act shall not apply to -

(i) the posts for which any special procedure is laid down under any enactment of the Legislature of the Union territory of Jammu and Kashmir; and

(ii) such other posts as may be excluded from the operation of the Act by the notification issued by the Government in this behalf from time to time. ".

After section 3, insert -

Domicile for purposes of appointment to any service in Union territory of Jammu and Kashmir.

"3A. (1) Any person who fulfils the following conditions shall be deemed to be a domicile of the Union territory of Jammu and Kashmir for the purposes of appointment to any post carrying a pay scale of not more than Level-4 (25500) under the Union territory of Jammu and Kashmir or under a local or other authority (other than cantonment board) within the Union territory of Jammu and Kashmir:-

(a) who has resided for a period of fifteen years in the Union territory of Jammu and Kashmir or has studied for a period of seven years and appeared in Class 10^{th} /12^{th} examination in an educational institution located in the Union territory of Jammu and Kashmir; or

(b) who is registered as a migrant by the Relief and Rehabilitation Commissioner (Migrants) in the Union territory of Jammu and Kashmir.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), following persons shall be deemed to be domicile under sub-section (1) :-

(a) children of those Central Government Officials , All India Services Officers, Officials of Public Sector Undertaking and Autonomous body of Central Government, Public Sector Banks, Officials of Statutory bodies, Officials of Central Universities and recognised Research institutes of Central Government who have served in Jammu and Kashmir for a total period of ten years; or

(b) children of parents who fulfil any of the conditions in sub-section (1); or

(c) children of such residents of Union territory of Jammu and Kashmir as reside outside Union territory of Jammu and Kashmir in connection with their employment or business or other professional or vocational reasons but their parents fulfil any of the conditions provided in sub-section (1).

Issuance of domicile certificate

3B. (1) Tehsildar within his territorial jurisdiction shall be the Competent Authority for issuance of domicile certificate:

Provided that the Government of Union territory of Jammu and Kashmir may notify any other officer to be Competent Authority for issuance of domicile certificate.

(2) The applicant may apply in such form as may be prescribed to the Competent Authority who shall after verification issue such certificate in such form as may be determined by the Competent Authority.

(3) Any person aggrieved by the order of the Competent Authority may file appeal before the concerned Deputy Commissioner who shall decide appeal, providing an opportunity of being heard to the parties, within a period of sixty days. " .

Section 5. — In sub-section (1),-

(a) for "State Service Selection Board" substitute "Service Selection Board" and for the sign colon ":" at the end, substitute sign full-stop ".";

(b) omit the proviso.

After section 5, insert -

Requirement of domicile for being eligible for certain posts.

"5A. Subject to the provisions of this Act, no person shall be eligible for appointment to a post carrying a pay scale of not more than Level-4 (25500) unless he is a domicile of the Union territory of Jammu and Kashmir.".

Section 6. — (i) In clause (i), for "permanent resident of the State" substitute "Domicile of Union territory of Jammu and Kashmir";

(ii) Omit clause (ii).

Section 7. — (i) In clause (i), for "permanent resident of the State" substitute "Domicile of Union territory of Jammu and Kashmir";

(ii) Omit clause (ii).

Section 8. — Omit clause (i).

Section 13. — Omit.

15. THE JAMMU AND KASHMIR CIVIL SERVICES (SPECIAL PROVISIONS), ACT

(Act No. XIV of 2010)

Repeal as a whole.

16. THE SRINAGAR AND JAMMU CLUSTER UNIVERSITIES ACT

(Act No. III of 2016)

Section 4.— (i) In clause (e), after "innovation" insert ", incubation, knowledge, exchange," and omit "and" at the end;

(ii) in clause (f), for sign full stop "." substitute sign semi colon ";" and thereafter insert-

"(g) to make the constituent colleges as centre of excellence in Advance Studies, Social Science, Fine Arts, Sciences and Technology and Science, etc;

(h) to make an endeavour towards the autonomy of the constituent colleges; and

(i) to work for enhancement of skills and employability of the students of the constituent, autonomous and affiliated colleges.".

Section 5.— After clause (14), insert-

"(15) to lay emphasis on mentoring, career counseling and placement along with the development of State of Art facilities for co-curricular activities in the constituent, autonomous and affiliated colleges".

Section 8.– For "State" wherever occurring substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 10.– In sub-section (1), for "the Chief Minister of the State" substitute "the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 11.– In sub-section (1), omit "of the State".

Section 12.– In sub-section (5),-

(i) for "five years" substitute "three years";

(ii) in first proviso omit "in consultation with the Pro-Chancellor"; and

(iii) in second proviso omit wherever occurring "in consultation with the Pro-Chancellor" and also omit "who is or has been a Judge of the High Court".

17. THE JAMMU AND KASHMIR STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES ACT, 1997

(Act No. XII of 1997)

Repeal as a whole.

18. THE JAMMU AND KASHMIR CONTROL OF BUILDING OPERATIONS ACT, 1988

(Act No. XV of 1988)

Throughout the Act, for "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 1. – In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 10.– (i) For "Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)";

(ii) in clause (ii), for "section 57 of the Code" substitute "section 42 of the Code".

19. THE JAMMU AND KASHMIR DEBTORS RELIEF ACT

(Act No. XV of 1976)

Throughout the Act, for "Government Gazette" wherever occurring substitute "Official Gazette".

Section 1. – In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. – (i) In sub-section (1), –

(a) in clause (ii), omit "or section 140 of the Jammu and Kashmir Transfer of Property Act, Svt. 1977";

(b) in clause (v), for "Government of Jammu and Kashmir" wherever occurring substitute "Government of Union territory of Jammu and Kashmir";

(ii) in sub section (10), for "Code of Civil Procedure, Samvat. 1977" substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 3. – In sub-section (11), for "section 14 of Limitation Act, Svt. 1995" substitute "section 14 of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963)".

Section 4. – Omit proviso.

Section 12. – For "the Code of Civil Procedure, Svt. 1977" substitute "the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 22. – For "the Code of Civil Procedure, Svt. 1977" substitute "the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 30. – For "the provisions of the Jammu and Kashmir Limitation Act, Svt. 1995" substitute "the provisions of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963)".

Section 32. – For "section 21 of the Ranbir Penal Code, Svt. 1989" substitute "section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 34.— Omit.

20. THE JAMMU AND KASHMIR DELIVERY OF BOOKS AND NEWSPAPERS (PUBLIC LIBRARIES) ACT

(Act No. XIII of 1961)

Section 1.— For "the State" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.— In clause (a), for "section (5) of the Jammu and Kashmir Press and Publication Act, Svt. 1989" substitute "the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867)";

Section 3.— In clause (a), for "section (26) of the Jammu and Kashmir Press and Publication Act, Svt. 1989" substitute "the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867)".

Section 4.— In clause (a), for "Jammu and Kashmir Press and Publication Act, Svt. 1989" substitute "the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867)".

IndiaCode

21. THE JAMMU AND KASHMIR DEPUTY MINISTERS' SALARIES AND ALLOWANCES ACT

(Act No. VI of 1957)

Repeal as a whole.

22. THE JAMMU AND KASHMIR DEPUTY SPEAKER'S AND DEPUTY CHAIRMAN'S (EMOLUMENTS) ACT

(Act No XXII of 1956)

Long title.- Omit "and Deputy Chairman's".

Section 1. – In sub section (1), omit "and Deputy Chairman's".

Section 2. – For clause (a), substitute–

'(a) "Deputy Speaker" means Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir'.

Section 3. – Omit "and Deputy Chairman" wherever occurring.

[

23. THE JAMMU AND KASHMIR EGRESS AND INTERNAL MOVEMENT (CONTROL) ORDINANCE

(Ordinance No. V of Samvat 2005)

Throughout the Ordinance, for "State" and "Government" wherever occurring substitute "Union territory of Jammu and Kashmir" and "Government of Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. – For "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 3-C.– For "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 5. – In sub-section (2), for "section 61 of the Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 8. **–** For "Code of Criminal Procedure, 1989"and "section 30" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)" and "section 29" respectively.

Section 9.**–** In sub-section (2), for "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 10.**–** For "Code of Criminal Procedure, 1989", wherever occurring substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 12. – In sub-section (2), for "section 439 of Code of Criminal Procedure 1989" substitute "section 401 of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 15. – For "Evidence Act, 1977" substitute "Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)".

Section 17. **–** For "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 18. **–** For "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 19. – For "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

24. THE JAMMU AND KASHMIR ENEMY AGENTS ORDINANCE

(Ordinance No. VIII of Samvat 2005)

Throughout the Ordinance, for "State" or "State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir" and "Government" shall be construed to mean "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 4. – In sub-section (2), for "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 5. – For "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 6. – In sub-section (2), for "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 7. – For "Code of Criminal Procedure, 1989" wherever occurring, substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 9. – For "section 439 of Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "section 401 of Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974)".

Section 12. – For "Evidence Act, 1977" substitute "Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)".

Section 13. – In sub-section (4), for "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 15. – For "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 16. – For "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

IndiaCode

25. THE JAMMU AND KASHMIR STATE EMERGENCY RELIEF FUND ACT

(Act No. XIII of 1960)

Repeal as a whole.

26. THE JAMMU AND KASHMIR EXCISE ACT, SAMVAT 1958 (1901 A.D.)

(State Council Resolution No. 9 of 1901)

Throughout the Act, "Government" shall be construed to mean "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Preamble.— For "Jammu and Kashmir State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1. – In sub-section (2), for "whole of the territories of the State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 3. – In section 3,-

(i) in clauses (11), (12) and (13), for "State territory" substitute "territory of the Union territory of Jammu and Kashmir"; and

(ii) in clause (18), for "State Government" and "Government Gazette" substitute "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "Official Gazette" respectively.

Sections 5, 6 and 8. – For "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 11. – In the second proviso, for "territories of the State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 11-A. – In sub-section (2), for "State Government" substitute "Government".

Section 14-A. – For "in the State" substitute "in the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 16. – For "in the territories of the State or imported into or exported from the State" substitute "in the territories of the Union territory of Jammu and Kashmir or imported into or exported from the Union territory".

Section 16-A. – For "State" and "Government Gazette" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir" and "Official Gazette" respectively.

Sections 17 and 24. – For "State" wherever occurring substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 32, – (i) For "Criminal Procedure Code, 1989" substitute "Criminal Procedure Code, 1973(2 of 1974)"; and

(ii) omit the proviso.

Section 34. – For "State" wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 38. – For "Criminal Procedure Code, 1989" substitute "Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974)".

Section 39. – For "Chapter XXX of the Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Chapter XXXIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 56-B. – In sub-section (2), for "Criminal Procedure Code, 1989" substitute "Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974)".

Section 61. – (i) In sub-section (1), for "Ranbir Penal Code", wherever occurring, substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)"; and

(ii) in sub-section (2), in clause (a), for "Criminal Procedure Code, 1989" substitute "Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974)".

Section 64. – For "Jammu and Kashmir Government" substitute "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

27. THE JAMMU AND KASHMIR EXTRACTION OF RESIN ACT

(Act No. IX of 1988)

Throughout the Act, for "Government" and Government Gazette" substitute "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "Official Gazette" respectively.

Section 1. – In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. – In clause (e), for "Forest Act, Samvat, 1987" substitute "Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927)".

Section 3. – For "State" wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 4. – In sub-section (2), for "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 7. – In sub-section (2), in clause (d), for "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

28. THE JAMMU AND KASHMIR FERRY BOATS CONTROL ACT

(Act No. XVIII of 1971)

Throughout the Act, "Government" means "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1. – In sub-section (2), for "the whole of the State" substitute "the whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

29. THE JAMMU AND KASHMIR STATE FINANCE COMMISSION ACT

(Act No. XVIII of 2006)

Repeal as a whole.

30. THE JAMMU AND KASHMIR FINANCE COMMISSION FOR PANCHAYATS AND MUNICIPALITIES ACT

(Act No. XVI of 2011)

Section 1 .— In sub section (1), omit "State".

Section 2. – (i) In clause (a), omit "State";

(ii) in clause (b), omit "State";

(iii) in clause (d), for "Government of Jammu and Kashmir" substitute "Government of Union territory of Jammu and Kashmir"; and

(iv) in clause (g), for "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 3.- In sub-section (1), omit "State".

Section 10. – For "State" wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 11. – (i) in sub-section (2), in clause (a), for "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir"; and

(ii) in sub-section (2), in clause (b), for "State Government" substitute "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 13.– In sub-section (1), for "Government" wherever occurring, substitute "Government of Union territory of Jammu and Kashmir"; and for "Legislature" substitute "Legislative Assembly".

Section 15. – For "section 21 of the Ranbir Penal Code" substitute "section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860)".

31. THE JAMMU AND KASHMIR FIRE FORCE ACT

(Act No. XXII of 1967)

Section 1.- (i) In sub-section (2), for "whole State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

(ii) omit sub-section (3).

Section 2.– After clause (d), insert-

'(dd) "Government" means "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir'.

Section 13.– In sub-section (1), for "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 14.– For "Consolidated Fund of the State" substitute "Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 16.– For "Government Gazette", wherever occurring substitute "Official Gazette".

Section 17.– In sub-section (2), in clause (f), for "the Jammu and Kashmir Arbitration Act, Samvat, 2002" substitute "the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996)".

Section 19.– For "The Code of Civil Procedure, Samvat, 1977" substitute "The Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 21.– For "The Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Samvat, 1989" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

32. THE JAMMU AND KASHMIR FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT

(Act No.XII of 2006)

Section 2.– (i) For clause (b), substitute-

'(b) "budget" means the "Annual Financial Statement" laid before the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir under section 41 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019).';

(ii) for clause (j), substitute-

'(j) "Government" means Government of the Union territory of Jammu and Kashmir'.

Section 5.– For "Legislature" and "each House of State Legislature" substitute "Legislature of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir" respectively.

Section 6.– For "State economy" and "State Government" substitute "economy of Union territory of Jammu and Kashmir" and "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir" respectively.

Section 9.– In sub-section (2), in clause (h) in the second proviso, for "before each House of State Legislature" substitute "before Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 11.– (i) In sub-section (1), for "before each House of State Legislature" substitute "before Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir";

(ii) in sub-section (2), in the proviso, for "Consolidated Fund of the State under sub-section (3) of section 79 of the Constitution of Jammu and Kashmir" substitute "Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir under sub-section (3) of section 41 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019)";

(iii) in sub-section (5), for "in each House of State Legislature" substitute "before Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 12.– For "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 13.– For "before each House of State Legislature" and "the Houses" wherever occurring substitute respectively "before Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "the Legislative Assembly".

Section 16.– (i) In sub-section (1), for "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

(ii) In sub-section (2), for "State Legislature" substitute "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

IndiaCode

33. THE JAMMU AND KASHMIR FISHERIES ACT

(Act No. XVI of 2018)

Throughout the Act, for "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 2.– In clause (g), for "Government of Jammu and Kashmir" substitute "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 12.– In sub-section (3), for "The Limitation Act, Svt. 1995" substitute "The Limitation Act, 1963 (36 of 1963)".

Section 17.– For "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)".

Section 18.– (i) In sub-section (1), for "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)".

(ii) in sub-section (3), for "section 403 of the Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "section 300 of the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974) ".

Section 19.– Omit "State".

Section 21.– For "Ranbir Penal Code, Samvat 1989" substitute "Indian Penal Code, (45 of 1860)".

Section 28.– For "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)".

IndiaCode

34. THE JAMMU AND KASHMIR STATE FOREST CORPORATION ACT

(Act No. XII of 1978)

Repeal as a whole.

35. THE JAMMU AND KASHMIR FOREST PROTECTION FORCE ACT

(Act No. VI of 2001)

Throughout the Act, for "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1.- In sub-section (2), for "whole of the Jammu and Kashmir State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.- (i) In clause (d),-

(a) in sub-clause (i), for "demarcated forest", "undemarcated forest" and the Jammu and Kashmir Forest Act, Samvat, 1987" substitute "Reserved forest", "Protected forest" and "the Indian Forest Act, 1927"(16 of 1927) respectively; and

(b) in sub-clause (ii), for "the Jammu and Kashmir Wildlife (Protection) Act, 1978" substitute "the Wildlife (Protection) Act, 1972(53 of 1972)";

(ii) in clause (e), for "the Government of Jammu and Kashmir" substitute "the Government of Union territory of Jammu and Kashmir"; and

(iii) in clause (h), for "the Jammu and Kashmir Wildlife (Protection) Act, 1978 or the Jammu and Kashmir Forest Act, Samvat, 1987" substitute "the Wildlife (Protection) Act, 1972(53 of 1972) or the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927)".

Section 6.- In sub-section (2), for "the State Government" substitute "the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 7.- In sub-section (1), for "section 126 of the Constitution of Jammu and Kashmir" substitute "article 311 of the Constitution of India".

Section 10.- (i) In sub-section (1), in clause (i), for "the Jammu and Kashmir Forest Act, Samvat, 1987" and "the Jammu and Kashmir Wildlife (Protection) Act, 1978", substitute "the Indian Forest Act, 1927(16 of 1927)" and "the Wildlife (Protection) Act, 1972(53 of 1972)" respectively.

(ii) in sub-section (9), for "the Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989," substitute "the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)".

Section 11.- In sub-section (2), for "the Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989", substitute "the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)".

Section 16.- In sub-section (2), for "the Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989," substitute "the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)".

Section 18.- In sub-section (4), for "each House of the State Legislature" and "both Houses agree" substitute "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "Legislative Assembly agrees" respectively.

36. THE JAMMU AND KASHMIR FRUIT NURSERIES (LICENSING) ACT

(Act No. XXII of 1987)

Section 1.- In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.- After clause (c), insert-

'(cc) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir'.

Section 7.- For "State", wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 17.- For "the Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989" substitute "the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 18.- For "section 21 of the Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code" substitute "section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 21.- In sub-section (3), for "before each House of the State Legislature" substitute "the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

37. THE JAMMU AND KASHMIR GIFT GOODS (UNLAWFUL POSSESSION) ACT

(Act No XL of 1963)

Section 1.- In sub section (2), for "the whole State" substitute "the whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 4. - For "the Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

IndiaCode

38.THE JAMMU AND KASHMIR GOLF DEVELOPMENT AND MANAGMENT AUTHORITY ACT

(Act No VII of 2013)

Repeal as a whole.

39. THE JAMMU AND KASHMIR GOVERNMENT GAZETTE ACT

(Act No. XII of Samvat 1945)

Throughout the Act, for "State", "Government" and "Government Gazette", wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir" , "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "Official Gazette" respectively.

40. THE JAMMU AND KASHMIR GOVERNOR'S SPECIAL SECURITY FORCE ACT

(Governor's Act No. XLII of 2018)

Throughout the Act, for "Governor", "State" and "Government" wherever occurring, substitute "Lieutenant Governor", "Union territory of Jammu and Kashmir" and "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Long title.- For "Jammu and Kashmir Governor" substitute "Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. – In the Explanation, for "State Ranbir Penal Code" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

41. THE JAMMU AND KASHMIR HABITUAL OFFENDERS (CONTROL AND REFORM) ACT

(Act No. XI of 1956)

Throughout the Act, for "State" and "Government" wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir" and "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1.- In sub section (2), for "whole of the Jammu and Kashmir State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.- For "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 18.– In sub section (2), for "Code" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 21.- For "Ranbir Penal Code (Act XII of 1989)" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 24.- In sub-sections (1) and (2), for "section 565 of the State Code" substitute "section 356 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)."

Schedule.-

(i) In clauses (1) and (2), for "Ranbir Penal Code (Act XII of 1989)" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)";

(ii) in clause (3), for "The Public Gambling Act 1977 (XVIII of 1977)" substitute "Public Gambling Act 1867 (3 of 1867)"; and

(iii) in clause (4), for "Essential Supplies (Temporary Powers) Ordinance (Ordinance No.1 of 2003" substitute "Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955)".

IndiaCode

42. THE JAMMU AND KASHMIR HANDICRAFTS (QUALITY CONTROL) ACT

(Act No. IV of 1978)

Section 1.— In sub-section (2), for "whole of the State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir."

Section 2.— After clause (c), insert -

'(cc) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir.'.

Section 10.— In sub-section (2), for "State Ranbir Penal Code, Samvat 1989", substitute "Indian Penal Code(45 of 1860)".

Section 12.— In sub-section (2), for "sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

43. THE JAMMU AND KASHMIR HERITAGE CONSERVATION AND PRESERVATION ACT

(Act No. XV of 2010)

Throughout the Act, for "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.— For clause (h), substitute -

'(h) "Government" means the Government of Union territory of Jammu and Kashmir.'.

Section 15.— In sub-section (1), for "five thousand rupees" substitute "fifty thousand rupees".

IndiaCode

44. THE JAMMU AND KASHMIR HIGHWAYS ACT

(Act No. XXVII of Samvat 2007)

Section 1.— In sub-section (2), for "whole of Jammu and Kashmir State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.— After the opening paragraph, insert -

' "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir.'

45. THE JAMMU AND KASHMIR HOME GUARDS ACT

(Act No. III of Samvat 2006)

Throughout the Act, for "Government" wherever occurring substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1.— In sub-section (2), for "whole of the State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 6-B .— In sub-section (1), for "Ranbir Penal Code 1989" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 6-C.— In sub-section (2), for "Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

46. THE JAMMU AND KASHMIR HOUSING BOARD ACT

(Act No. VII of 1976)

Section 1.— In sub section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.— In clause (12), for "a Town Area Committee or a notified Area Committee" substitute "a Municipal Corporation or Council or Committee".

Section 36.— In sub-section (4), for "sections 193 and 228 of the Ranbir Penal Code" substitute "sections 193 and 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 39.— For "the Jammu and Kashmir Houses and Shops Rent Control Act, 1966" substitute "the Jammu and Kashmir Residential and Commercial Tenancy Act, 2012".

Section 40.— For "Transfer of Property Act, Svt. 1977" substitute "Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882)".

Section 64.— For "Ranbir Penal Code" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

47. THE JAMMU AND KASHMIR INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS (NATIONAL FESTIVAL) HOLIDAYS ACT

(Act No. XIII of 1974)

Preamble .- For "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1.— (i) In sub-section (2), for "whole of Jammu and Kashmir State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir";

(ii) in sub-section (3), for "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 6.— In sub-section (2), for "Ranbir Penal Code, 1989" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

48. THE INSPECTOR GENERAL OF PRISONS (CHANGE IN DESIGNATION) ACT

(Act No XIII of 2001)

Repeal as a whole.

49. THE ISLAMIC UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, KASHMIR ACT

(Act No. XVIII of 2005)

Section 2.— (i) For clause (b), substitute -

'(b) "Board" means Board of Waqf established under section 13 of the Waqf Act,1995 (43 of 1955)'; and

(ii) for clause (h), substitute -

'(h) "State" means the Union territory of Jammu and Kashmir.'.

Section 8.— (i) In sub-section (1), for "the Chief Minister" substitute "the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir"; and

(ii) for sub-section (4), substitute -

"(4) There shall be a Dean for each Faculty of Basic Disciplines (Engineering, Science Management and Humanities and Social Sciences) who shall be appointed in such manner and with such powers and duties as may be prescribed by the Statutes, and there shall be Head for each School of Study who shall be appointed in such manner and with such powers and duties as may be prescribed by the Statutes.".

Section 27.— For "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Schedule — In clause (5), for sub-clause (i), substitute -

"(i) The Vice-Chancellor of a University shall in case he is whole- time paid officer, receive salary not exceeding the limit prescribed by the University Council and other facilities as the Chancellor may determine, in addition to free residential accommodation".

50. THE JAMMU AND KASHMIR KAHCHARAI ACT

(Act No. XVIII of Samvat 2011)

Section 1.- In sub-section (2), for "whole of the State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 3. - In clause (4) for "Jammu and Kashmir Forest Act, 1987" substitute "Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927)".

Section 25.- For "Code of Criminal Procedure" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 32.- For "Code of Criminal Procedure" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

51. THE KASHMIR AND JAMMU UNIVERSITIES ACT

(Act No. XXIV of 1969)

Section 8.- For "State" wherever occurring substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 10.- For "Governor" substitute "Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 11. - For "Jammu and Kashmir State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 12. - In sub-section (5), in the second proviso;-

(i) for "five years" substitute "three years"; and

(ii) omit wherever occurring "in consultation with the Pro-Chancellor" and also omit "who is or has been a Judge of the High Court".

Section 16. - In sub-section (1), for "Secretary to Government" substitute "Administrative Secretary".

52. THE KASHMIR SILK PROTECTION ACT

(Notification No. 14 of Samvat 1964)

Repeal as a whole.

53. THE JAMMU AND KASHMIR KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD ACT

(Act No. XVI of 1965)

Throughout the Act,-

(i) For "the State" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir";

(ii) for "both the Houses of State Legislature" substitute "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir";

Section 1. - In sub-section (2), for "the whole State" substitute " the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 32. - For "Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code Samvat 1989" substitute "Indian Penal Code (45 of the 1860)".

54. THE LADAKH AUTONOMOUS HILL DEVELOPMENT COUNCIL ACT

(Act No. XXXI of 1997)

Repeal as a whole for the Union territory of Jammu and Kashmir.

55. THE LADAKH BUDHISTS SUCCESSION TO PROPERTY ACT

(Act No. XVIII of Samvat 2000)

Repeal as a whole for the Union territory of Jammu and Kashmir.

56. THE JAMMU AND KASHMIR LAMBARDARI ACT

(Act No. X of 1972)

Throughout the Act, for "State" and "Government" wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir" and "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir" respectively.

Section 1. – In sub section (2), for "whole of the State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

57. THE JAMMU AND KASHMIR LEGISLATIVE ASSEMBLY (SPEAKER'S EMOLUMENTS) ACT

(Act No IV of 1956)

Section 1.- In sub-section (2), for "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

58. THE JAMMU AND KASHMIR LEGISLATIVE COUNCIL CHAIRMAN'S (EMOLUMENTS) ACT

(Act No. XXVIII of 1962)

Repeal as a whole.

59. THE JAMMU AND KASHMIR STATE LEGISLATURE MEMBERS' PENSION ACT

(Act No.II of 1984)

Section 3.— In sub-section (1-A), insert-

"Provided that the total pension shall not exceed rupees seventy-five thousand per mensem."

Section 3-C.— Omit.

IndiaCode

60. JAMMU AND KASHMIR STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1962

(Act No. XVI of 1962)

Throughout the Act, for "Government Gazette" wherever occurring substitute "Official Gazette".

Preamble and long title.— For "State Legislature" substitute "Legislative Assembly of the Union territory".

Section 2. - In clause (a), for "Jammu and Kashmir State Legislature" substitute "the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 3.-

(i) For "the Jammu and Kashmir State Legislature", wherever occurring, substitute "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir";

(ii) in clause (b), for "either House of the Jammu and Kashmir State Legislature" substitute "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir";

(iii) in clause (d), for "State" substitute "Union territory";

(iv) in sub-clause (ii) of clause (dd), for "State" substitute "Union territory";

(v) omit sub-clauses (xix) and (xx) of clause (h);

(vi) in clause (i), for "under the Jammu and Kashmir Societies Registration Act, Samvat 1998 or any other law" substitute "under any law in force in the Union territory of Jammu and Kashmir".

61. THE JAMMU AND KASHMIR STATE LEGISLATURE PROCEEDINGS (PROTECTION OF PUBLICATION) ACT

(Act No. XXXVII of 1960)

Throughout the Act, for "the Jammu and Kashmir State Legislature" substitute "the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

62. LEVY OF TOLLS ACT

(Act No. VIII of Samvat 1995)

Throughout the Act, for "State", substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1.— In sub-section (2), for "whole of Jammu and Kashmir State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

63. THE JAMMU AND KASHMIR MIGRANT IMMOVEABLE PROPERTY (PRESERVATION, PROTECTION AND RESTRAINT ON DISTRESS SALES) ACT

(Act No. XVI of 1997)

Section 1.— In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 6. —

(i) In sub-section (2), omit the proviso; and

(ii) after sub-section (2), insert -

"(3) The Competent authority shall prepare the details of immovable property of migrants in such format, as may be prescribed, and take appropriate action to evict unauthorised occupant of such migrant property including such action as provided in section 5."

64. THE JAMMU AND KASHMIR MIGRANTS (STAY OF PROCEEDINGS) ACT

(Act No. XVII of 1997)

Section 1.— In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

65. THE JAMMU AND KASHMIR MINISTERS' AND MINISTERS OF STATE SALARIES ACT

(Act No.VI of 1956)

Section 3. - (i) In sub-section (1), in clause (a), omit "exclusive of tax on income leviable under the Income Tax Act, 1961";

(ii) omit sub-section (1-a) ;

(iii) in sub-section (2), for "State Government" substitute "the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir";

(iv) in sub-section (3), in the proviso for "Governor" substitute "Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 3-A. - For "Governor" substitute "Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 3-B. - For "Governor" substitute "Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 4. - For "Governor" wherever occurring substitute "Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

IndiaCode

66. THE JAMMU AND KASHMIR MINISTERS' AND PRESIDING OFFICERS' MEDICAL FACILITIES ACT

(ACT No. XXII of 1975)

Repeal as a whole.

67. THE JAMMU AND KASHMIR MONEY LENDERS AND ACCREDITED LOAN PROVIDERS ACT

(Act No. XXIII of 2010)

Section 1.— In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2,– (i) For clause (5), substitute -

"(5) Government means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir*";*

(ii) in clause (8), in sub-clause (n), for "Jammu and Kashmir Societies Registration Act, Samvat 1998" substitute "Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860)";

(iii) in clause (9), for "the Jammu and Kashmir Legal Services Authority Act, 1997" substitute "the Legal Services Authority Act, 1987 (39 of 1987) ".

Section 3.– For "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 8.– For "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 10.– (i) in sub-section (5), for "Code of Civil Procedure, 1977" substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)";

(ii) in sub-section (6), for "Code of Civil Procedure, 1977" substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 26.— For "Ranbir Penal Code" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)"

Section 28.– (i) In sub-section (1), for "Government Gazette" substitute "Official Gazette";

(ii) in sub-section (3), for "each House of State Legislature" and "both Houses" wherever occurring substitute respectively "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "Legislative Assembly".

Section 29.– For "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 30.– For "in the table of both the Houses of State Legislature" substitute "before the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

68. THE JAMMU AND KASHMIR MOTOR SPIRIT AND DIESEL OIL (TAXATION OF SALES) ACT

(Act No. V of Samvat 2005)

Section 3-A. - In sub-section (1), for "State" and "Government Gazette" substitute respectively "Union territory of Jammu and Kashmir" and "Official Gazette";

Section 11. - For "Code of Criminal Procedure, 1989" wherever occurring substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 12. - For "Code of Criminal Procedure, 1989" wherever occurring substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 13. - For "Code of Criminal Procedure, 1989" wherever occurring substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 15. - For "Code of Criminal Procedure, 1989" wherever occurring substitute "Code of Criminal Procedure,1973 (2 of 1974)".

Section 22-C. - For "the Limitation Act, Samvat, 1995" substitute "the Limitation Act, 1963 (36 of 1963)".

69. THE JAMMU AND KASHMIR MOTOR VEHICLE TAXATION ACT

(Act No. XXVI of 1957)

Throughout the Act, for "the Jammu and Kashmir State" or "the State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1. - In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - (i) In clause (i), for "the Jammu and Kashmir Motor Vehicles Act, Samvat,1998", substitute "the Motor Vehicles Act,1988 (59 of 1988)";

(ii) after clause (i), insert -

'(ia) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir' ; and

(iii) in clauses (VI), (VII) and (VIII), for "the Jammu and Kashmir Motor Vehicles Act, Samvat 1998" substitute "the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988)".

Section 3.- In sub-section (2), omit the proviso.

Section 4. - (i) In sub-section (1), in clause (C), omit "(not exceeding the maximum specified in Schedule II)"; and

(ii) in sub-section (3), in sub-clause (ii) of clause (a), for "the Jammu and Kashmir Motor Vehicles Act, Samvat, 1998" substitute "the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988)".

Omit Schedule I and Schedule II.

70. THE JAMMU AND KASHMIR MULBERRY PROTECTION ACT

(Act No. X of Svt. 2006)

Throughout the Act, for "the State" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1. - In sub-section (2), for "the Jammu and Kashmir State" substitute" the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - For "the State" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 3. - After clause (2), insert -

' (2a) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir'.

Section 11. - For "the Criminal Procedure Code, Samvat 1989" substitute "the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974)".

Section 15. - In sub-section (1), in the proviso, for "the Criminal Procedure Code, Samvat 1989" substitute "the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974)".

Section 16. - For "Chapter XIX of Criminal Procedure Code, Samvat 1989" substitute "Chapter XVII of the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974)".

71. THE JAMMU AND KASHMIR MUNICIPAL OMBUDSMAN ACT

(Act No XX of 2010)

Throughout the Act, for "Government Gazette", "Governor" and "State" substitute "Official Gazette", "Lieutenant Governor" and "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - (i) In clause (e), for "Chapter IX of the Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Samvat, 1989 or under the Jammu and Kashmir Prevention of Corruption Act, Samvat, 2006" substitute "Chapter IX of the Indian Penal Code (45 of 1860) or under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988)";

(ii) in clause (f), for "the Government of Jammu and Kashmir" substitute "the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir"; and

(iii) omit clause (p).

Section 3. - In sub-section (1),-

(i) in the first proviso, for "Judge of a High Court or is eligible to be appointed as Judge of High Court" substitute "Judge of a High Court or is eligible to be appointed as Judge of High Court or who has held the post of Commissioner or Secretary to the Government or equivalent rank"; and

(ii) in the second proviso, for "the Governor shall consult the Chairman of the Legislative Council" substitute "the Lieutenant Governor shall consult".

IndiaCode

(iii) after the second proviso, insert-

"Provided also that during the continuation of Proclamation issued under section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019(34 of 2019), the Ombudsman shall be appointed by the Lieutenant Governor on the recommendation of the Committee consisting of-

(a) Advisors to the Lieutenant Governor (one of whom shall be nominated by the Lieutenant Governor, who shall be the Chairperson of the Committee); and

(b) Chief Secretary (Member-Secretary).".

Section 4.- For sub-section (2), substitute -

"(2) The Ombudsman shall be entitled to pay and allowances as admissible to a Judge of the common High Court of Jammu and Kashmir.".

Section 8. - For "the Code of Civil Procedure, Samvat 1977" substitute "the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 11. - In sub-section (4), in clause (b), for "the Jammu and Kashmir Commission of Inquiries Act, 1962" substitute "the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952)".

Section 13. – Omit sub-section (3).

Section 16. - In sub-section (3), for "the State Legislative Assembly" substitute "the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

72. THE JAMMU AND KASHMIR MUNICIPALTIES PUBLIC DISCLOSURE ACT

(Act No. XXIV of 2010)

Preamble.- For "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

73. THE JAMMU AND KASHMIR MUSLIM MARRIAGES REGISTRATION ACT

(Act No. XXII of 1981)

Section 1.- In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - In clauses (b) and (c), for "the Registration Act, Samvat 1977" wherever occurring substitute "the Registration Act 1908 (16 of 1908) ".

Section 6.- For "Evidence Act, 1977" substitute "Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)".

74. THE JAMMU AND KASHMIR NAMDHA QUALITY CONTROL ACT, 2010

[Act No. VI of Samvat 2010 (1953 A.D)]

Preamble.- For "Jammu and Kashmir State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1. - In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - In clause (e), for "Jammu and Kashmir State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 6-B. - In sub-section (2), for "sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure Samvat, 1989" substitute "section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

IndiaCode

75. THE NATIONAL DEFENCE FUND DONATION OF IMMOVABLE PROPERTY (EXEMTION FROM STAMP DUTY AND REGISTRATION) ACT

(Act No. V of 1963)

Throughout the Act, any reference to "Government" and "Government Gazette" shall be construed to mean as "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "Official Gazette" respectively.

76. THE JAMMU AND KASHMIR NATIONAL LAW UNIVERSITY ACT, 2018

(Act No. II of 2019)

Section 3. - In sub-section (1), for "State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 4. - In clause (v), omit "and the Constitution of Jammu and Kashmir".

Section 8. - For "The Chief Minister" substitute "The Chief Justice".

Section 12. - In sub-section (1), in clause (d), for "the Chief Justice" substitute "the Chancellor".

77. THE JAMMU AND KASHMIR NATURAL CALAMITIES DESTROYED AREAS IMPROVEMENT ACT, 2011 (1954 A.D)

(Act No. XXXVIII of Samvat 2011)

Throughout the Act, for "Government", "Government Gazette" and "State" substitute respectively "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir", "Official Gazette" and "Union territory of Jammu and Kashmir".

Throughout the Act, for "Land Acquisition Act" or "Land Acquisition Act, Svt. 1990" substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".

Section 1. - In sub-section (2), for "whole of the State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - In clause (a), for "Jammu and Kashmir Municipal Act, 1998" substitute "Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000".

Section 4. - In clause (o), for "the Jammu and Kashmir Municipal Act, 1998, the Town Area Act, 1997" and "the Village Panchayat Act, 2008" substitute "the Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000" and "Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989" respectively.

Section 9. - For "sections 4 and 6", wherever occurring including in the marginal heading, substitute "sections 11 and 19".

Section 10. - For "sections 15, 23 and 24", wherever occurring, substitute "sections 26, 27 and 28."

78. THE JAMMU AND KASHMIR NON-BIODEGRADABLE MATERIAL (MANAGEMENT, HANDLING AND DISPOSAL) ACT

(Act No. XII of 2007)

Throughout the Act, for "Government Gazette" and "State" wherever occurring substitute "Official Gazette" and "Union territory of Jammu and Kashmir" respectively.

Section 1. - In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.— Omit clause (k).

Section 6. - In sub-section (4), for "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)" and for "section 98" substitute "section 94".

Section 9. – In sub-section (1), for clause (iv), substitute -

" (iv) damage the lakes, rivers or wetland or other water channel, water-course or water source as defined in the Jammu and Kashmir Water Resources (Regulation and Management) Act, 2010".

Section 10.— (i) In sub-section (1), for "Rs. 5000/-" substitute "Rs. 50,000/-"; and

(ii) in sub-section (2), for "may extend upto Rs.10,000/-" substitute "not less than Rs. 10,000/-".

Section 12. - For "sections 260 to 265 of the Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "sections 260, 262 to 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

79. THE JAMMU AND KASHMIR OBSOLETE LAWS (REPEAL) ACT

(Act No. XXVII of 2010)

Throughout the Act, for "State" and "Government" wherever occurring substitute "Union territory of Jammu and Kashmir" and "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir" respectively.

80. THE JAMMU AND KASHMIR OMBUDSMAN FOR PANCHAYATS ACT

(Act No. V of 2014)

Throughout the Act, for "Governor" and "State" wherever occurring, substitute "Lieutenant Governor" and "Union territory of Jammu and Kashmir" respectively.

Section 2. - (i) In sub-clause (e), for "Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Samvat 1989" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)"; and

(ii) in clause (f), for "Government of Jammu and Kashmir" substitute "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 3. – In sub-section (1),-

(i) in the second proviso, omit "Chairman of the Legislative Council";

(ii) in third proviso, substitute the sign full stop (.) at the end by the sign colon (:) and thereafter insert-

"Provided that during the continuation of Proclamation issued under section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019(34 of 2019), the Ombudsman shall be appointed by the Lieutenant Governor on the recommendation of the Committee consisting of-

(a) Advisors to the Lieutenant Governor (one of whom shall be nominated by the Lieutenant Governor, who shall be the Chairperson of the Committee); and

(b) Chief Secretary (Member-Secretary).".

Section 8. - For "Code of Civil Procedure, Samvat 1977" substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 11. - In sub-section (4), for "Jammu and Kashmir Commission of Inquires Act, 1962" substitute "The Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952)".

Section 13. - Omit sub-section (3).

IndiaCode

81. THE JAMMU AND KASHMIR PARAMEDICAL COUNCIL ACT

(Act No.VII of 2014)

Preamble.- For "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Throughout the Act, for "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir."

Section 2.— In clause (d),-

(i) in sub-clause (ii), for "clause (d) of section 2 the Jammu and Kashmir Homeopathic Practitioners Act, 2003(Act No. VIII of 2003)" substitute "clause (d) of section 2 the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973)"; and

(ii) in sub-clause (iii), for "clauses (2) and (3) respectively of section 2 of the Jammu and Kashmir Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1959 (Act No. XXVI of 1959)" substitute "provisions of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970)."

Section 5.— Omit clause (a).

Section 31.— In sub-section (3), for "the Code of Criminal Procedure Samvat 1989" substitute "the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 32.— In sub-section (4), for "State Ranbir Penal Code" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 38.— In sub-section (3), for "Evidence Act, Samvat 1977" substitute "Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)".

Section 42.— For "Evidence Act, Samvat 1977", "the Public Servants (Inquiries) Act, Svt. 1977" and "the Code of Civil Procedure" substitute respectively "Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) ", "the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850)" and "the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

IndiaCode

82. THE JAMMU AND KASHMIR PASSENGERS TAXATION ACT

(Act No XII of 1963)

Section 12.— In sub-section (5), for the words "the Code of Civil Procedure Samvat, 1977" substitute "the Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908)".

Section 16-B.— For the words "Limitation Act, Samvat 1995" substitute "Limitation Act, 1963 (36 of 1963)".

83. THE JAMMU AND KASHMIR PLANT DISESASES AND PESTS ACT

(Act No XVI of 1973)

Throughout the Act, for "the State" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1. - In sub-section (2), for "the whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 16. - In sub-section (4), for "each House of the State Legislature" substitute "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir.".

84. THE PLYBOARD INDUSTRIES (ACQUISITION OF SHARES AND OF THE INDUSTRIAL UNDERTAKINGS) ACT

(Act No. VI of 1987)

Repeal as a whole.

85. THE POLICE ACT

(Act No. II of Samvat 1983)

Throughout the Act, for "State" and "Code of Criminal Procedure Samvat 1989" substitute respectively "Union territory of Jammu and Kashmir" and "Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)"

86. THE JAMMU AND KASHMIR PRESERVATION OF SPECIFIED TREES ACT

(Act No. V of 1969)

Throughout the Act, for "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1.— In sub-section (2), for "the whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

87. THE JAMMU AND KASHMIR PREVENTION OF BEGGARY ACT

(Act No. XL of 1960)

Section 1.— In sub-section (2), for "the whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "the whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 4.— In sub-section (2), for the words "section 61 of the Code of Criminal Procedure Svt. 1989" substitute "section 57 the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

88. PREVENTION OF RIBBON DEVELOPMENT ACT

(Act No. XXVI of Svt. 2007)

Section 1.— In sub-section (2), for "the whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "the whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

89. THE PREVENTION OF RUM RASUM ACT

(Act No. I of Samvat 1997)

Section 2.— In sub-section (2), for "whole of Jammu and Kashmir State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

90. THE JAMMU AND KASHMIR PREVENTION AND SUPPRESSION OF SABOTAGES ACT

(Act No. XXII of 1965)

Section 2.– (i) In clause (b), for "Government Gazette" substitute "Official Gazette" and for "section 96 of Constitution of Jammu and Kashmir" substitute "article 217 of the Constitution of India".

(ii) In clause (c), for "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

(iii) after clause (c), insert-

'(d) "Government" means Government of the Union territory of Jammu and Kashmir'.

Section 11.– For "Evidence Act, Samvat 1977" substitute "Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)".

Section 12.- Omit "or to make any order under section 491 of the Code".

91. THE JAMMU AND KASHMIR (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) EXAMINATION, ACT

(Act No XX of 1987)

Section 1.- In sub-section (2), for "the State of Jammu and Kashmir" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.- (i) After clause (f), insert-

'(ff) "Government" means Government of the Union territory of Jammu and Kashmir'.

(ii) in clause (l), for "the State Legislature" substitute "the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 7. - For "the Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "the Criminal Procedure Code, 1973(2 of 1974)".

Section 8. - (i) For "the Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "the Criminal Procedure Code, 1973(2 of 1974)"; and

(ii) in clause (iii), for "under section 259-A of the Criminal Procedure Code, Samvat 1989" substitute "under Chapter XIX of the Criminal Procedure Code, 1973(2 of 1974)".

Section 10. - For "section 21 of the Ranbir Penal Code" substitute "section 21 of the Indian Penal Code(45 of 1860)".

92. THE JAMMU AND KASHMIR PRIVATE COLLEGES (REGULATION AND CONTROL) ACT

(Act No. XXII of 2002)

Throughout the Act, for "Government Gazette" wherever occurring, substitute "Official Gazette".

Preamble.- For "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1. - In sub-section (2), for "the State of Jammu and Kashmir" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - (i) for clause (f), substitute -

'(f) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir'.

(ii) for clause (i), substitute -

'(i) "State" means the Union territory of Jammu and Kashmir.'

Section 17. - In sub-sections (1) and (2), for "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 19. - For "the Code of Civil Procedure, Samvat 1977" substitute "the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

93. THE PROBATE AND ADMINISTRATION ACT

(Act No XXIX of Svt. 1977)

Section 1. – In sub-section (2), for "whole of the Jammu and Kashmir State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 3. - In clause under the heading "Minor", for "The Majority Act, 1977," substitute "the Majority Act, 1875 (9 of 1875)".

Section 5. - For "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 54. - In Para (4), for "the Ranbir Penal Code" substitute "the Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 55. - For "the Code of Civil Procedure, Samvat 1977" substitute "the Code of Civil Procedure, 1908(5 of 1908)".

Section 59. - In Para (5), for "the whole of State" substitute "the whole of theUnion territory of Jammu and Kashmir".

Section 60. - In sub-section (2), in example, for "the whole of the State" substitute "the whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 65. - For "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 83. - For "the Code of Civil Procedure", wherever occurring, substitute "the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 86. - For "the Code of Civil Procedure", wherever occurring, substitute "the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 89. - For "the Ranbir Penal Code" substitute "the Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 98. - (i) In sub-section (3), for "sections 176 and 177 of the Ranbir Penal Code" substitute "sections 176 and 177 of the Indian Penal Code (45 of 1860)"; and

(ii) in sub-section (4), for "section 193 of the Code" substitute "section 193 of the Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 99. - For "State", wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 145-A. - For "State", wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 150. - For "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

94. THE JAMMU AND KASHMIR PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENT TAX ACT

(Act No. IX of 2005)

Section 1. - In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - (i) in clause (g), for "the two Houses of the State Legislature" and "the State Legislature" substitute "the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "the Legislature of the Union territory of Jammu and Kashmir" respectively;

(ii) for clause (j), substitute -

'(j) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir'; and

(iii) for clause (p), substitute -

'(p) "State" means the Union territory of Jammu and Kashmir'.

Section 11. - For "Code of Civil Procedure, Samvat 1977" substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 20. - For "State Legislature" and "each House of the State Legislature" substitute "the Legislature of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir" respectively.

95. THE JAMMU AND KASHMIR PROHIBITION ON MANUFACTURE OF SPECIFIED COPPER UTENSILS (BY MACHINE) ACT

(Act No. XIII of 2006)

Throughout the Act, for "State" and "Government Gazette", wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir" and "Official Gazette" respectively.

Section 1. - In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - For clause (b), substitute -

'(b) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir'.

96. THE JAMMU AND KASHMIR PROHIBITION OF RAGGING ACT

(Act No. VI of 2011)

Throughout the Act, for "State" or "State of Jammu and Kashmir", wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1. - In sub-section (2), for "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

97. THE JAMMU AND KASHMIR STATE PROHIBITION OF SMOKING (CINEMA AND THEATRE HALLS) ACT

(Act No. XVIII of Svt. 2009)

IndiaCode

Repeal as a whole.

98. THE JAMMU AND KASHMIR PROHIBITION OF SMOKING AND NON-SMOKERS HEALTH PROTECTION IN PUBLIC SERVICE VEHICLES ACT

(Act No. XX of 1997)

Repeal as a whole.

99. THE JAMMU AND KASHMIR PROPERTY RIGHTS TO SLUM DWELLERS, ACT

(Act No XI of 2012)

Throughout the Act, for "the State" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir"

Section 2.— In clause (28), omit "who is a permanent resident of the State of Jammu and Kashmir and".

Section 3.— (i) In sub-section (1), omit "who is a permanent resident of the State of Jammu and Kashmir and";

(ii) in sub-section (2), omit the second proviso; and

(iii) in sub-section (8), for "the Jammu and Kashmir Registration Act, 1977" substitute "the Registration Act, 1908 (16 of 1908)".

Section 5.— In sub-section (1), omit clause (IV).

Section 16.— In sub-section (3), for "the Jammu and Kashmir Land Acquisition Act, Samvat 1990" substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".

Section 19.— For "the Code of Criminal Procedure Samvat 1989" substitute "the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)".

Section 24.— In sub-section (3), for "the Code of Criminal Procedure Samvat 1989" substitute "the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)".

100. THE JAMMU AND KASHMIR PROPERTY TAX BOARD ACT, 2013

(Act No. XI of 2013)

Throughout the Act, for "Government Gazette" and "State", wherever occurring, substitute "Official Gazette" and "Union territory of Jammu and Kashmir" respectively.

Section 2. - For clause (d), substitute -

'(d) "Government" means the Government of Union territory of Jammu and Kashmir'.

Section 17. - For "both Houses of the State Legislature" substitute "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 22. - For "State Ranbir Penal Code", substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

101. THE JAMMU AND KASHMIR PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS), ACT

(Act No XIII of Svt. 2018)

Throughout the Act, for "the State" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.— In clause (c), in sub-clause (vii), in Explanation-I for "The Jammu and Kashmir Chit Fund Act, 2016" substitute "the Chit Funds Act, 1982 (40 of 1982)".

Section 8.- In sub-section (3), for "the Code of Criminal Procedure Samvat 1989" substitute "the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 9.— In sub-section (6), omit the first proviso.

Section 16.— For "the section 497-A of the Code of Criminal Procedure Samvat 1989" substitute "the section 438 of the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)".

Section 15.— In sub-section (1) and sub-section (2),for "the Code of Criminal Procedure Samvat 1989" substitute "the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)".

102. THE JAMMU AND KASHMIR PUBLIC MEN AND PUBLIC SERVANTS DECLARATION OF ASSETS AND OTHER PROVISIONS ACT

(Act No. V of 1983)

Throughout the Act, for "State", "Ranbir Penal Code", "Prevention of Corruption Act, Samvat 2006", " Either House of State Legislature" and "or both Houses of State Legislature" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir", "Indian Penal Code (45 of 1860)", "Prevention of Corruption Act,1988 (49 of 1988)" , "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.— In clause (c), in sub-clause (i), omit "or the Chairman as the case may be".

Section 8.— In clause (a), for "in section 70 of the Constitution of Jammu and Kashmir" substitute "in the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019)".

103. THE JAMMU AND KASHMIR PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORIZED OCCUPANTS) ACT

(Act No. XVII of 1988)

Section 11.— For "Code of Civil Procedure Samvat 1977" substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 14.— In sub-section (1), for "five thousand rupees" substitute "fifty thousand rupees".

Section 15.— Throughout the section, for "Code of Civil Procedure Samvat 1977" substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 23.— For "each House of State Legislature" substitute "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

104. THE JAMMU AND KASHMIR PUBLIC SAFETY ACT

(Act No VI of 1978)

Throughout the Act, for "the State", "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" and "Ranbir Penal Code, Samvat, 1989" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir", "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)" and "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 10.—Omit the proviso.

Section 14.— For sub-section (3), substitute -

"(3) The Chairman and the other Members of the Board shall be appointed by the Government on the recommendations of the Search-cum-Selection Committee consisting of the following:-

(a) Chief Secretary …….. Chairman;

(b) Administrative Secretary,

Home Department…….. Member;

(c) Administrative Secretary,

Department of Law, Justice and

Parliamentary Affairs ……. Member:

Provided that no sitting Judge of the High Court or the sitting District and Sessions Judge shall be appointed as Chairman or Member of the Board except in consultation with the Chief Justice of the High Court.".

105. THE JAMMU AND KASHMIR PUBLIC SERVICES GUARANTEE ACT

(Act No. IX of 2011)

Throughout the Act, for "State", substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

IndiaCode

106. THE JAMMU AND KASHMIR REGISTRATION OF CONTRACTORS ACT

(Act No. XVI of 1956)

Throughout the Act, for "State" and "Government" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir" and "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir" respectively.

Section 1 .— In sub section (2), for "whole of the State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 7.— For "Rs. 30", substitute "Rs. 100."

107. THE JAMMU AND KASHMIR REGISTRATION OF TOURIST TRADE ACT

(Act No. IX of 1978)

Section 1.— In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.– (i) In clause (o), for "State" wherever occurring substitute "Union territory of Jammu and Kashmir"; and

(ii) after clause (p), insert-

'(q) "Government" means Government of the Union territory of Jammu and Kashmir'.

Section 5.– In sub-section (1), in clause (a), for "Chapters XIII and XVII of Ranbir Penal Code, Samvat 1989" substitute "Chapters XIII and XVII of the Indian Penal Code (45 of 1860)."

Section 6.– In sub-section (1), in clause (b), for "Chapters XIII and XVII of Ranbir Penal Code, Samvat 1989" substitute "Chapters XIII and XVII of the Indian Penal Code (45 of 1860)."

Section 11.– In sub-section (1), in clause (a), for "Chapters XIII and XVII of Ranbir Penal Code, Samvat 1989" substitute "Chapters XIII and XVII of the Indian Penal Code (45 of 1860)."

Section 12.– In sub-section (1), in clause (b), for "Chapters XIII and XVII of Ranbir Penal Code, Samvat 1989" substitute "Chapters XIII and XVII of the Indian Penal Code (45 of 1860)."

Section 15.– For "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 20.– In sub-section (1), in clause (b), for "Chapters XIII and XVII of Ranbir Penal Code, Samvat 1989" substitute "Chapters XIII and XVII of the Indian Penal Code (45 of 1860)."

Section 21.– In sub-section (1), in clause (b), for "Chapters XIII and XVII of Ranbir Penal Code, Samvat 1989" substitute "Chapters XIII and XVII of the Indian Penal Code (45 of 1860)."

Section 24.– For "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 34.– For "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 37.– For "the Code of Civil Procedure, Samvat, 1977" substitute "the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 45.– For "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 46.– For "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 50.– For "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

IndiaCode

108. THE JAMMU AND KASHMIR REGULATION OF ACCOUNTS ACT

(Act No.XIV of SVT. 2001)

Section 1.— (i) In clause (b), for "the Jammu and Kashmir State" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir"; and

(ii) in clause (c), for "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 2.– (i) In clause (b), for "the Jammu and Kashmir Companies Act" substitute "the Companies Act, 2013(18 of 2013)"; and

(ii) after clause (d), insert-

'(da) "Government" means Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 3.– In sub-section (2), for "Evidence Act, 1977" substitute "Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)".

109. THE JAMMU AND KASHMIR RESERVATION ACT

(Act No.XIV of 2004)

Section 1.— In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.– (i) For clause (h), substitute -

'(h) "Government" means Government of Union territory of Jammu and Kashmir';

(ii) after clause (p), insert-

'(pa) "State" means Union territory of Jammu and Kashmir'.

(iii) in clause (o), in the proviso , for "on the recommendations of the State Backward Classes Commission" substitute "on the recommendations of a Commission to be constituted by the Government in this behalf".

Section 13.– For "Government Gazette" substitute "Official Gazette".

110. THE JAMMU AND KASHMIR (RESIDENTIAL AND COMMERCIAL TENANCY) ACT

(Act No. V of 2012)

Section 1. - For "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - (i) In clause (e), for "Government of Jammu and Kashmir" substitute "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir"; and

(ii) in clause (l), for "State funds" substitute "Government funds".

Section 3. - (i) In clause (a), for "State Government" substitute "Government"; and

(ii) In clause (f), for "the Jammu and Kashmir Wakfs Act, 2001" and "the Trust Act, Samvat 1977" substitute "the Wakf Act, 1995 (43 of 1995)" and "the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882)" respectively.

Section 30. - In section 30 and in the proviso, for "the Transfer of Property Act, Samvat 1977" and "the Contract Act, Samvat 1977" substitute "the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882)" and "the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1882)" respectively.

IndiaCode

Section 31. - For "the Code of Civil Procedure, Samvat 1977" substitute "the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 32. - (i) In sub-section (1), for "the Code of Civil Procedure, Samvat 1977" substitute "the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)"; and

(ii) in sub-section (2),-

(a) for "sections 193 and 228 and for the purposes of section 196 of the Ranbir Penal Code" substitute "sections 193 and 228 and for the purposes of section 196 of the Indian Penal Code (45 of 1860)"; and

(b) for, "the Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 36. - For "the Jammu and Kashmir Court Fees Act, Samvat, 1977" substitute "the Court-fees Act, 1870 (7 of 1870)".

Section 37. - For "Consolidated Fund of the State" substitute "Consolidated Fund of the Union territory of Jammu and Kashmir".

111. THE JAMMU AND KASHMIR RESTITUTION OF MORTGAGED PROPERTIES, ACT

(Act No. XIV of 1976)

Preamble.— For "the State of Jammu and Kashmir" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1. - In sub-section (2), for "the State of Jammu and Kashmir" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - (i) In sub-section (1), in clause (a), for "the Jammu and Kashmir Registration Act, Samvat 1977" substitute "the Registration Act, 1908 (16 of 1908)"; and

(ii) in sub-section (2),-

(a) in clause (ii), omit "or section 140 of the Jammu and Kashmir Transfer of Property Act, Samvat, 1977";

(b) in clause (iii), for "the Governor or the Government of Jammu and Kashmir" substitute "the Lieutenant Governor or the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir"; and

(c) in clause (v), for "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 3. - (i) After clause (ii), insert-

'(iia) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir'; and

(ii) in clause (vii), for "the Transfer of Property Act, Samvat 1977" substitute "the Transfer of Property Act, 1882(4 of 1882)".

Section 7.— Omit sub-section (2).

Section 13. - For "rules 97 and 98 of Order XXI of Code of Civil Procedure, 1977" substitute "rules 97 and 98 of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 15. - For "the Jammu and Kashmir Limitation Act, 1995" substitute "the Limitation Act, 1963 (36 of 1963)".

112. THE JAMMU AND KASHMIR ROAD SAFETY COUNCIL ACT

(Act No. V of 2018)

Preamble.— For "in the State" substitute "in the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - For clause (i), substitute-

'(i) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir.'.

Section 3. - For "Chief Secretary of the State" substitute "Chief Secretary of the Union territory".

Section 4. - In clause (ii) of sub-section (3), for "State Government" substitute "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 9. - For "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 10. - For "State Government" substitute "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 22. - In sub-section (2), for "State Legislature" substitute "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 23. - In sub-section (3), for "State Legislature" substitute "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 29. - For "Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Samvat 1989" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 34. - In sub-section (3), for "Legislative Assembly of State" substitute "Legislative Assembly of the Union territory Jammu and Kashmir".

IndiaCode

113. THE JAMMU AND KASHMIR SAFFRON ACT, 2007

(Act No. V of 2007)

Throughout the Act, for "State", "Government" and "Government Gazette", wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir", "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "Official Gazette" respectively.

Section 1. - In sub-section (2), for "the whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "the whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - (i) For clause (f), substitute-

'(f) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir'; and

(ii) for clause (n), substitute-

'(n) "State" means the Union territory of Jammu and Kashmir'.

Section 3 .- In sub-section (2), in the proviso, for "Agriculture Minister" substitute "Deputy Commissioner of the concerned District in consultation with Director Agriculture".

Section 12. - In sub-section (5), for "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)'.

114. THE SAPPHIRE ACT, 1989 (1932 A.D.)

(Act No. XVI of Samvat 1989)

Throughout the Act, for "State" and "State Territory" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir" and "territory of Jammu and Kashmir" respectively.

Section 1. - In sub-section (ii), for "whole of the Jammu and Kashmir State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - In clause (h), for "Jammu and Kashmir State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 9. - For "the Code of Criminal Procedure" substitute "the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 17. - For "State Official" substitute "Official of the Union territory of Jammu and Kashmir".

115. THE JAMMU AND KASHMIR STATE SHEEP AND SHEEP PRODUCTS DEVELOPMENT BOARD ACT

(Act No. IX of 1979)

Throughout the Act, "Government" means "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1. - In sub-section (2), for "whole of Jammu and Kashmir State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 4. - Omit "and one from the Legislative Council".

Section 22. - For "each House of the State Legislature" substitute, "the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 25. - For "each House of the State Legislature" substitute, "the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 28. - For "State Ranbir Penal Code, Samvat 1989", substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 32. - Omit sub-section (3).

116. SHER-I-KASHMIR UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY ACT

(Act No.VII of 1982)

Throughout the Act, for "Governor" and "State" substitute respectively "Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 14.- In sub-section (4), omit the proviso.

Section 25.- For sub-section (2), substitute-

"(2) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years with an extension of another two years after evaluation of performance by the Chancellor in the manner as he deems fit or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier and the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed and shall not be varied to his disadvantage after his appointment.".

IndiaCode

117. SHER-I-KASHMIR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (GRANT OF DEGREES) ACT

(Act No.XII of 1983)

Section 2.– In clause (a), for "Government of Jammu and Kashmir" substitute "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 4.— For "Jammu and Kashmir State Legislature" substitute "Legislature or Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir.".

118. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI AMARNATH JI SHRINE ACT

(Act No. XVIII of 2000)

Throughout the Act, the expression "State Government" shall be construed as "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir.".

Section 3.– In clause (b), for "State Government" substitute "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 4.– In sub-section (1), in clauses (a) and (b), for "Governor of the State of Jammu and Kashmir", "Governor of Jammu and Kashmir" and "Governor" wherever occurring substitute "Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir", "Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir" and "Lieutenant Governor" respectively.

Section 8.– For "Governor" wherever occurring substitute "Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 19.– For "Governor" substitute "Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

119. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI MATA SUKHRALA DEVI JI SHRINE AND SHRI MATA BALA SUNDARI SHRINE ACT

(Act No.III of 2013)

Section 3.– For clause (e), substitute-

'(e) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir;'.

Section 5.– In sub-section (2), omit the Explanation.

Section 19.– For "State Ranbir Penal Code", substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

120. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI MATA VAISHNO DEVI SHRINE ACT

(Act No.XVI of 1988)

Section 5.– In sub-section (1),-

(i) in clause (a), for "the Governor of the State of Jammu and Kashmir" and "the Governor" substitute "the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "the Lieutenant Governor" respectively; and

(ii) in clause (b), for "the Governor of Jammu and Kashmir" and "the Governor" wherever occurring, substitute "the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "the Lieutenant Governor" respectively.

Section 8.– In clause (f), for "the Governor" substitute "the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 9.– For "the Governor" wherever occurring substitute "the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 11.– For "the Governor" substitute "the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 12.– For "the Governor" substitute "the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 15.– For "State Ranbir Penal Code", substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 19.– In sub-section (1), for "the Governor" substitute "the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 23.– For "the Governor" substitute "the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

121. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI MATA VAISHNO DEVI UNIVERSITY ACT

(Act No.XII of 1999)

IndiaCode

Section 2.- After clause (d), insert-

"(da) "School" means the school maintained by the University;".

Section 5.– (i) For clause (4), substitute-

"(4) to appoint or recognise persons as Professors, Associate Professors or Assistant Professors or Lecturers or otherwise as teachers of the University;";

(ii) for clause (6), substitute-

"(6) to establish and maintain Faculty or Schools and Halls, to recognise, guide, supervise and control Halls set up by Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board and to withdraw any such recognition;".

Section 8.– In sub-section (1), for "the Governor" substitute "the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 11.– For sub-section (1), substitute-

"(1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:-

(i) The Vice Chancellor of the University;

(ii) The Vice Chancellor of the University of Jammu;

(iii) Vice Chancellor of the University of Kashmir;

(iv) The Dean of Student Welfare, ex officio;

(v) Not more than two Deans of Faculty by rotation according to seniority;

(vi) Not more than two heads of Schools of studies, by rotation according to seniority;

(vii) Principal Secretary to Lieutenant Governor, Permanent invitee ex officio;

(viii) Chief Executive Officer of Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, Permanent invitee ex officio;

(ix) Three persons, none of whom shall be an employee of the University or an Institution recognised by, or associated with, the University, to be nominated by Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board.".

For section 18, substitute-

"18. **School**.- The School shall be such as may be established by Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board and recognised by the Executive Council in accordance with the provisions of this Act.".

122. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI SHIV KHORI SHRINE ACT

(Act No. IV of 2008)

Section 3.– For clause (d), substitute-

"(d) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir;".

Section 5.– In sub-section (2), omit the Explanation.

Section 19.– For "State Ranbir Penal Code" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

123. THE JAMMU AND KASHMIR SIKH GURUDAWARAS AND RELIGIOUS ENDOWMENTS, ACT

(Act No. XV of 1973)

Throughout the Act, "Government Gazette" and "State" shall be construed to mean "Official Gazette" and "Union territory of Jammu and Kashmir".

Preamble.— For "Jammu and Kashmir State" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1. - (i) In sub-section (2), for "whole of Jammu and Kashmir State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir"; and

(ii) in sub-section (2-a), for "State" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - After clause (c), insert-

'(cc) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir'.

Section 2-A. - For "the Jammu and Kashmir Houses and Shops Rent Control Act, 1996" substitute "the Jammu and Kashmir (Residential and Commercial) Tenancy Act, 2012".

Section 4. - (i) In clause (v), for "the Jammu and Kashmir State" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir"; and

(ii) omit clause (vi).

Section 12. - Omit clause (vi).

124. THE KASHMIR SILK (DEVELOPMENT AND PROTECTION) ACT

(Act No. XXVIII of 1988)

Section 1.— In sub section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 6.— For "Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

125. THE JAMMU AND KASHMIR SPECIAL SECURITY GROUP ACT

(Act No VI of 2000)

Preamble.— For "the State of Jammu and Kashmir" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. – (i) In clauses (a) and (c), for "Jammu and Kashmir" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir"; and

(ii) in clause (h), for "Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code" substitute, "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 4. - (i) In sub-section (1),-

(a) for "the State of Jammu and Kashmir" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir"; and

(b) omit clause (c); and

(ii) in sub-section (3), for "the State of Jammu and Kashmir" substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 6. - For "the State", wherever occurring, substitute "the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 16.- In sub-section (3), for "each House of the State Legislature" and "both Houses agree" substitute, "the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "the Legislative Assembly agrees" respectively.

126. THE JAMMU AND KASHMIR SPECIAL TRIBUNAL ACT

(Act No. XIX of 1988)

Throughout the Act, for "State", "Government" and "Government Gazette", wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir", "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir" and "Official Gazette" respectively.

Preamble.— For "State Legislature" substitute "Legislative Assembly of the Union territory".

Section 3. - (i) For "State Legislature", wherever occurring, substitute "Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir";

(ii) in sub-section (1), omit "but save otherwise provided in sub-section (2)"; and

(iii) omit sub-section (2) and renumber sub-section (3) as sub-section (2).

Section 8. - For "section 21 of the Ranbir Penal Code, Samvat 1989" substitute "section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860)".

127. THE JAMMU AND KASHMIR STAMP ACT, 1977

(Act No. XL of Samvat 1977)

Throughout the Act, for "Government", "Government Gazette" and "State", wherever occurring, substitute "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir", "Official Gazette" and "Union territory of Jammu and Kashmir" respectively.

Section 1. - In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - In clause (22-a), for "Civil Procedure Code, Samvat, 1977" substitute "Civil Procedure Code, 1908 (5 of 1908)".

Section 27. - In sub-section (3), for "Registration Act, Samvat, 1977" substitute "Registration Act, 1908 (16 of 1908)."

Section 33. - In sub-section (2), in clause (a), in the proviso, for "Chapter XII or Chapter XXXVI of Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Chapter IX or Part D of Chapter X of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)."

Section 35. - In clause (d), in the proviso, for "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)."

Section 42. - In sub section (2), in clause (b), for "Code of Civil Procedure, 1977" substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 47-A. - (i) In sub-section (1), for "Registration Act, Samvat, 1977" substitute "Registration Act, 1908 (16 of 1908)"; and

(ii) in sub section (5), for "Code of Civil Procedure, 1977" substitute "Code of Civil Procedure (5 of 1908)".

Section 48. - In sub-section (3), for "Registration Act, Samvat, 1977" substitute "Registration Act, 1908 (16 of 1908)".

Section 61. - For "Chapter XII or Chapter XXXVI of Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Chapter IX or Part D of Chapter X of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)."

Section 64-A.- In sub-section (2), for "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)."

Section 72. - For "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)."

IndiaCode

SCHEDULE-I

Art. 6. - In clause (b) (i), in column, 3 for "0.50%" substitute "0.25%" and for "five lakh rupees" substitute "minimum Rs. 1000/- and Maximum Rs. 50,000/-".

Art. 12. - In clause (a), in column 3, for "0.06% for every three month or a fractional part thereof on amount of Bill subject to maximum of 0.024%" substitute "rates as specified in the Schedule appended to the Indian Stamp Act,1899 (2 of 1899)".

Art. 22. - For "0.05% per year of the face value of debenture, subject to a maximum of 0.25% or Rs. 25 lakhs, whichever is lower" substitute "rates as specified in the Schedule appended to the Indian Stamp Act,1899 (2 of 1899)".

Art. 30. - For "Ten rupees" substitute "Rates as specified in the Schedule appended to Indian Stamp Act,1899 (2 of 1899)".

Art. 40. - In clause (b),in column 3, for "2% of the value or amount of shares contributed, subject to maximum of Rs, 5,000/" substitute "Rs. 50,000".

Art. 41. - In clause (A), for "Ten rupees" and "One-half of duty payable in respect of original policy in addition to amount, if any, chargeable under Article No.54" substitute "Rates as specified in the Schedule appended to Indian Stamp Act,1899 (2 of 1899)".

Art. 43. - In clause (b), in column 3, for "Ten rupees" and "One-fifth of the duty as applicable to a Bill of Exchange (No.12) for same amount payable otherwise than on demand, subject to a minimum of ten rupees" substitute "Rates as specified in the Schedule appended to Indian Stamp Act,1899 (2 of 1899)".

Art. 45. - In column 3, for "Ten rupees" substitute "Rates as specified in the Schedule appended to Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899)".

Art. 46. - In column 3, for "Ten rupees" substitute "Rates as specified in the Schedule appended to Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899)".

Art. 54 (a). - In column 3, for "Twenty-five paisa for every hundred rupees or part thereof of the value of the shares" substitute "Rates as specified in the Schedule appended to Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899)".

128. THE JAMMU AND KASHMIR TENANCY ACT, 1980

(Act No. II of Samvat 1980)

Repeal as a whole.

129. THE JAMMU AND KASHMIR STATE TOWN PLANNING ACT

(Act No. XX of 1963)

For "Government Gazette" and "State Land Acquisition Act, Svt. 1990" wherever occurring, substitute "Official Gazette" and "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)" respectively.

Section 1. - In sub-section (2), for "whole State" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 3. - In clause (o), for "the Jammu and Kashmir Municipal Act, Svt. 2008 or the Jammu and Kashmir Town Area Act, Svt. 2011" substitute "the Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000".

Section 18. - In sub-section (6), for "Arbitration Act, Svt. 2002" substitute "Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996)".

Section 27. - In the proviso, for "sections 4 and 6 of the Land Acquisition Act, Svt. 1990" substitute "sections 11 and 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".

Section 28. - For "sections 15, 23 and 24 of the Land Acquisition Act" substitute "sections 26, 27 and 28 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".

130. THE JAMMU AND KASHMIR TREASURE TROVE ACT, 1954 (1897 A.D)

(Council Resolution No. 37 of 1897)

Repeal as a whole.

131. URBAN IMMOVABLE PROPERTY TAX (REPEAL AND SAVING) ACT

(Act No. XXVIII of 2002)

Repeal as a whole.

132. THE UNIVERSITY OF LADAKH ACT

(Governor's Act No. LVI of 2018)

Repeal as a whole for the Union territory of Jammu and Kashmir.

133. THE JAMMU AND KASHMIR URBAN PROPERTY (CEILING) ACT

(Act No. XII of 1971)

Repeal as a whole.

134. USURIOUS LOANS ACT

(Act No. XLVII of Samvat 1977)

Repeal as a whole.

135. THE JAMMU AND KASHMIR VACCINATION ACT

(Act No. XXI of 1967)

Repeal as a whole.

136. THE JAMMU AND KASHMIR VEGETABLE SEEDS ACT

(Act No. XII of Svt. 2009)

Repeal as a whole.

137. THE JAMMU AND KASHMIR STATE VIGILANCE COMMISSION ACT

(Act No I of 2011)

Repeal as a whole.

138. THE JAMMU AND KASHMIR WILLOW (PROHIBITION ON EXPORT AND MOVEMENT) ACT

(Act No XVI of 2000)

Section 1. - In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 4. - In sub-section (1), for "the Jammu and Kashmir Forests Act, Samvat 1987" substitute "the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927)".

[F. No. 11014/05/2014-K.I]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA